

बीस सूत्री कार्यक्रम-2006
प्रगति रिपोर्ट
अवधि
अप्रैल - जून, 2016



भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

Website: www.mospi.gov.in

विषय सूची

पृष्ठ सं०

I. परिचय

1

भाग - I

समग्र निष्पादन विश्लेषण

I.	प्रगति रिपोर्ट	2
II.	निष्पादन संबंधी विषेषताएं	3
तालिका-	क- अखिल भारतीय निष्पादन	7
तालिका-	ख- राज्यवार निष्पादन	8
तालिका-	ग- राज्यवार व मदवार निष्पादन	14

भाग - II

मद-वार निष्पादन तालिका

तालिका	मद का विवरण	
सं.		
1	रोजगार सृजन - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	23
2 (क)	वित्त वर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या - नए और पुनर्जीवित (रा.गा.आ.मि.)	24
2 (ख)	वित्त वर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई (रा.गा.आ.मि.)	26
2 (ग)	वित्त वर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई (रा.गा.आ.मि.)	28
3 (क)	भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण	30
3 (ख)	अ.जा., अ.ज.जा. एवं अन्य को वितरित की गई बंजर भूमि	31
4 (क)	न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)	32
	(i) किया गया निरीक्षण (ii) पाई गई अनियमितताएं (iii) सुधारी गई अनियमितताएं	
4 (ख)	न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित) (i) किए गए दावे (ii) निपटाए गए दावे	33
4 (ग)	न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित) (i) लंबित अभियोजन केस (ii) दायर किए गए अभियोजन केस (iii) निर्णीत अभियोजन केस	34
5 (क)	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) - ए.ए.वाई., ए.पी.एल. और बी.पी.एल.के लिए	35
5 (ख)	खाद्य सुरक्षा: टीपीडीएस - केवल अन्त्योदय अन्न योजना - (ए.ए.वाई.)	37
5 (ग)	खाद्य सुरक्षा: टीपीडीएस - केवल गरीबी रेखा से नीचे - (बी.पी.एल.)	39
5 (घ)	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - सामान्य	41
5 (ङ)	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - टाइड ओवर	43
6	ग्रामीण आवास: प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	45

तालिका सं.	मद का विवरण	पृष्ठ सं०
7	शहरी क्षेत्रों में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास	47
8	ग्रामीण क्षेत्र: राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना - रा.ग्रा.पे.ज.यो.	
8 (क)	आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना	49
8 (ख)	गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना	51
9	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम	53
10	संस्थानिक प्रसव	54
11 (क)	अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास निगम द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान किए गए अ.जा. परिवार	55
11 (ख)	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत सहायता प्रदान किए गए अ.जा. छात्र	57
12	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का सर्वव्यापीकरण (संचयी)	58
13	क्रियाशील आंगनवाड़िया (संचयी)	60
14	सात सूत्री चार्टर के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या	62
15 (क)	वनरोपण - रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	63
15 (ख)	वनरोपण - रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	65
16	ग्रामीण सड़कें - पी.एम.जी.एस.वाई. के अधीन निर्मित सड़कें	67
17	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	69
18	पम्पसेटों को बिजली	71
19	विद्युत आपूर्ति	73

अनुबंध

अनुबंध - 1	बीस सूत्रों की सूची	75
अनुबंध - 2	बी.सू.का.-2006 के अंतर्गत प्रबोधित की जाने वाली 65 मदों की सूची	76
अनुबंध - 3	त्रैमासिक रूप से प्रबोधित मदों की सूची	79
अनुबंध - 4	त्रैमासिक रूप से प्रबोधित मदों के लिए प्राप्त लक्ष्यों की स्थिति	80
अनुबंध - 5	आकलन के लिए चिन्हित मदों/मानकों की सूची	84
अनुबंध - 6	बी.सू.का.-2006 के अंतर्गत उन मदों की सूची जिन्हें संचालित किया जाना बाकी है	86
अनुबंध - 7	प्रयुक्त संक्षेपाक्षर	87

बीस सूत्री कार्यक्रम - 2006

एक परिचय

भारत सरकार द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम (बी.सू.का.) 1975 में शुरू किया गया था तथा 1982, 1986 और फिर 2006 में इसकी पुनःसंरचना की गई थी। पुनःसंरचित कार्यक्रम को बीस सूत्री कार्यक्रम (बी.सू.का.)-2006 के नाम से जाना जाता है, जो 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी हो गया है। यह कार्यक्रम गरीबी हटाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने, आवास, शिक्षा, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण तथा अनेक अन्य योजनाओं पर बल देने के लिए बनाया गया है, जिनका असर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है।

2. बीस सूत्री कार्यक्रम (बी.सू.का.)-2006 में मूल रूप से 20 सूत्र (अनुबंध - 1) और 66 मदें थी। इन्हें संबंधित केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा अलग-अलग निगरानी किया जाता था। वर्ष 2007-2008 तक 66 मदों में से 22 मदों की निगरानी मासिक आधार पर की जाती थी। अप्रैल, 2008 से, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) का एक अन्य मद "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" के साथ विलय कर दिया गया है जिसका नाम 31 दिसम्बर, 2009 से बदलकर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 12 वीं योजना में स्वर्ण जयंति ग्राम स्वरोजगार योजना को संशोधित किया गया है और इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम दिया गया है। लक्षित जन वितरण प्रणाली के स्थान पर धीरे-धीरे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लाया जा रहा है। इस समय बीसूका-2006 के अंतर्गत 65 मदों की निगरानी की जा रही है। 65 मदों में 162 मानक चिन्हित हैं। इन 65 मदों की सूची अनुबंध-2 में दी गई है।

3. वर्ष 2016-17 के अंतर्गत, 65 मदों में से 19 मदों (इसके पूर्व 20 मदों) की निगरानी 37 मानकों पर मापकर त्रैमासिक आधार पर की जा रही है, जिनमें से 21 मानकों की निगरानी केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों व राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार की जा रही है (अनुबंध - 3 व 4)। त्रैमासिक निष्पादन के लिए इन 21 चिन्हित मानकों को लिया गया है (अनुबंध - 5)। बीसूका-2006 के अंतर्गत शेष मदों की निगरानी वार्षिक आधार पर की जा रही है क्योंकि संबंधित केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा इन मदों के बारे में जानकारी वार्षिक आधार पर ही उपलब्ध कराई जाती है।

4. कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों को संबंधित केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा अभी शुरू किया जाना है। इन मदों को, उनसे संबंधित योजनाएं शुरू होने के बाद ही निगरानी किया जाएगा और इनकी निगरानी कितने-कितने अंतराल पर की जाएगी, इसका निर्णय भी बाद में लिया जाएगा। ऐसी मदों का विवरण अनुबंध - 6 में दिया गया है।

5. बीसूका-2006 के निगरानी तंत्र में जिला, राज्य तथा केंद्रीय स्तर पर निगरानी के अलावा ब्लॉक स्तर की निगरानी निहित है। अधिकतर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर की निगरानी समितियां गठित कर ली हैं। केन्द्र में अलग-अलग मदों की प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा की जाती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय बीसूका-2006 के अंतर्गत शामिल कार्यक्रमों/योजनाओं को राज्य सरकारों और केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों से प्राप्त निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर निगरानी करता है।

बीस सूत्री कार्यक्रम - 2006

भाग - I

समग्र निष्पादन विश्लेषण

बीस सूत्री कार्यक्रम - 2006

प्रगति रिपोर्ट (अप्रैल, 2016 - जून, 2016)

1. बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 की इस त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के दो भाग हैं: भाग-I में समग्र निष्पादन का विश्लेषण शामिल है, जबकि भाग-II में मद-वार निष्पादन को दर्शाया गया है।
2. यह रिपोर्ट केंद्रीय नोडल मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर समेकित की जाती है। वर्तमान में त्रैमासिक प्रबोधन के लिए 21 मानकों को लिया गया है। मंत्रालय में आंकड़े या तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) सेल द्वारा विकसित वेब इनेबल्ड साफ्टवेयर द्वारा अथवा फैक्स/ई-मेल/डाक द्वारा प्राप्त होता है। एनआईसी सेल के सहयोग से आंकड़ों का प्रसंस्करण किया जाता गया है।
3. अप्रैल, 2016 - जून, 2016 के दौरान का विश्लेषण दर्शाता है कि 8 मदों के तहत निष्पादन "बहुत अच्छा" (लक्ष्य का 90% अथवा अधिक) रहा। ये मदें/मानक हैं:

(i)	पंपसेटों को बिजली
(ii)	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल अन्त्योदय अन्न योजना)
(iii)	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - टाइड ओवर
(iv)	बिजली की आपूर्ति
(v)	चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी)
(vi)	क्रियाशील आंगनवाडिया (संचयी)
(vii)	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - सामान्य
(viii)	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (गरीबी रेखा से ऊपर + गरीबी रेखा से नीचे + अन्त्योदय अन्न योजना)

4. 1 मद का निष्पादन "अच्छा" (लक्ष्य 80% या उससे अधिक लेकिन 90% से कम) रहा। यह मद/मानक है:

(i)	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल गरीबी रेखा से नीचे)
-----	---

5. 12 मदों का निष्पादन "खराब" (लक्ष्य का 80% से कम) रहा। ये मदें/मानक हैं:

(i)	वित्त वर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए (नए और पुनर्जीवित) स्वयं सहायता समूह की संख्या . आजीविका
(ii)	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गांवों का विद्युतीकरण
(iii)	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार - अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित एवं विकास निगम द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान किए गए अ.जा. परिवार
(iv)	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण
(v)	रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)
(vi)	वित्त वर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई - आजीविका
(vii)	निर्मित आवास - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / निम्न आय वर्ग
(viii)	रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)
(ix)	वित्त वर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई . आजीविका
(x)	निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
(xi)	आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - रा.ग्रा.पे.ज.यो.
(xii)	गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - रा.ग्रा.पे.ज.यो.

6. टीपीपी-2006 के तहत कुछ मदें, यथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता कार्यक्रम और संस्थागत प्रसव मांग आधारित हैं जबकि मदें यथा, भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण, न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (कृषि श्रम सहित), इत्यादि के लिए संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश वार लक्ष्य प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं। इस तरह की सभी मदों की निगरानी बिना किसी भी लक्ष्य के आधार पर की जा रही है।

निष्पादन संबंधी विशेषताएं

क्रम संख्या	मद	अप्रैल, 2016 - जून, 2016 की उपलब्धि
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन रोजगार पैदा करना ।	
	(i) जारी किए गए जॉब कार्ड की संख्या	10,67,253
	(ii) सृजित रोजगार	90.85 करोड़ श्रम दिवस
	(iii) दी गई मजदूरी	₹ 16,560 करोड़
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम)	
	(i) वित्त वर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या - नए और पुनर्जीवित	84,509
	(ii) वित्त वर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई	22,376
	(iii) वित्त वर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई	18,243
3.	भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण	
	वितरित भूमि ।	841 हेक्टेयर
4.	न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)	
	(i) किए गए निरीक्षणों की संख्या	28,459
	(ii) पाई गई अनियमितताओं की संख्या	1,320
	(iii) सुधारी गई अनियमितताओं की संख्या	929
	(iv) दायर किए दावों की संख्या	304
	(v) निपटाए गए दावों की संख्या	194
	(vi) लंबित अभियोजन मामलों की संख्या	4,677
	(vii) दायर किए गए अभियोजन मामलों की संख्या	705
	(viii) निर्णीत अभियोजन मामलों की संख्या	303
5.	खाद्य सुरक्षा: टीपीडीएस - एएवाई, एपीएल और बीपीएल	
	(i) खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)	123.50 लाख टन
	(ii) खाद्य सुरक्षा: अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई)	2.76 लाख टन
	(iii) खाद्य सुरक्षा: केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)	3.69 लाख टन
	(iv) खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - सामान्य	109.33 लाख टन
	(v) खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - टाइड ओवर	2.81 लाख टन
6.	ग्रामीण आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	
	निर्मित आवासों की संख्या	2,83,963
7.	शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास	
	निर्मित आवासों की संख्या	26,012

अगले पृष्ठ पर जारी

क्रम संख्या	मद	अप्रैल, 2016 - जून, 2016 की उपलब्धि
8.	ग्रामीण क्षेत्र: राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना - एनआरडीडब्ल्यूपी	
	(i) आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना	1,813
	(ii) गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना	300
9.	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम	
	परिवारों में व्यक्तिगत रूप से निर्मित शौचालयों की संख्या	23,31,496
10.	संस्थानिक प्रसव	
	संस्थानों में प्रसवों की संख्या	30.20 लाख
11.	सहायताप्राप्त अनुसूचित जाति परिवार	
	(i) अ.जा. उपयोगिता तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास निगम द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान किए गए अ.जा. परिवार	25,905
	(ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत सहायता प्रदान किए गए अ.जा. छात्र	7,89,317
12.	एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाओं (आईसीडीएस) का वैश्वीकरण	
	प्रचालन में आईसीडीएस ब्लॉकों की संख्या (संचयी)	6,947
13.	क्रियाशील आंगनवाड़ियां	
	क्रियाशील आंगनवाड़ियों की संख्या	13.32 लाख
14.	सात सूत्री चार्टर अर्थात् भूमि पट्टा, वहन योग्य लागत पर मकान, जल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त निर्धनों की संख्या	
	सहायताप्राप्त निर्धन परिवारों की संख्या	4.21 लाख
15.	वनरोपण:	
	(i) रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	1,15,667 हेक्टेयर
	(ii) रोपित पोथ (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	11.41 करोड़
16.	ग्रामीण सड़क - प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	
	निर्मित सड़क की लंबाई	8,755 कि.मी.
17.	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)	
	विद्युतीकृत गांव	1,504
18.	पंपसेटों को बिजली	
	बिजली प्रदान किए गए पंपसेटों की संख्या	1,21,750
19.	विद्युत आपूर्ति	
	बिजली की आपूर्ति (एमयू)	2,88,069 मिलियन यूनिट (एमयू)

नोट: (i) पांच राज्यों यथा, दिल्ली, झारखण्ड, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के प्रगति रिपोर्ट नियत अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं हुए। नवीनतम अर्थात् मई 2016 तक उपलब्ध जानकारी अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ राज्य के रिपोर्ट के लिए माना गया है।

(ii) मनरेगा के अंतर्गत "जारी किए गए जॉब कार्ड की संख्या", प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), वित्त वर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या - नए और पुनर्जीवित, वित्त वर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई, वित्त वर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के उपलब्धि आँकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए लिये गए हैं।

(iii) विद्युतीकृत गांवों की संख्या के आँकड़े ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए लिये गए हैं।

(iv) आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों और गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के उपलब्धि आँकड़े पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए लिये गए हैं।

उपलब्धियों की विशेषताएं

अप्रैल से जून 2016 के दौरान निष्पादन

अप्रैल से जून 2016 के दौरान निष्पादन 8 मदों के संबंध में “बहुत अच्छा”, 1 मद के संबंध में “अच्छा” और 12 मदों के संबंध में “खराब” रहा।

क. “बहुत अच्छा” निष्पादन (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

क्रम संख्या	मद	प्रतिशत उपलब्धि
1	पंपसेटों को बिजली	114
2	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल अन्त्योदय अन्न योजना)	105
3	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ.	99
4	बिजली की आपूर्ति	99
5	चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी)	98
6	क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी)	95
7	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ.	92
8	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (गरीबी रेखा से ऊपर + गरीबी रेखा से नीचे + अन्त्योदय अन्न योजना)	92

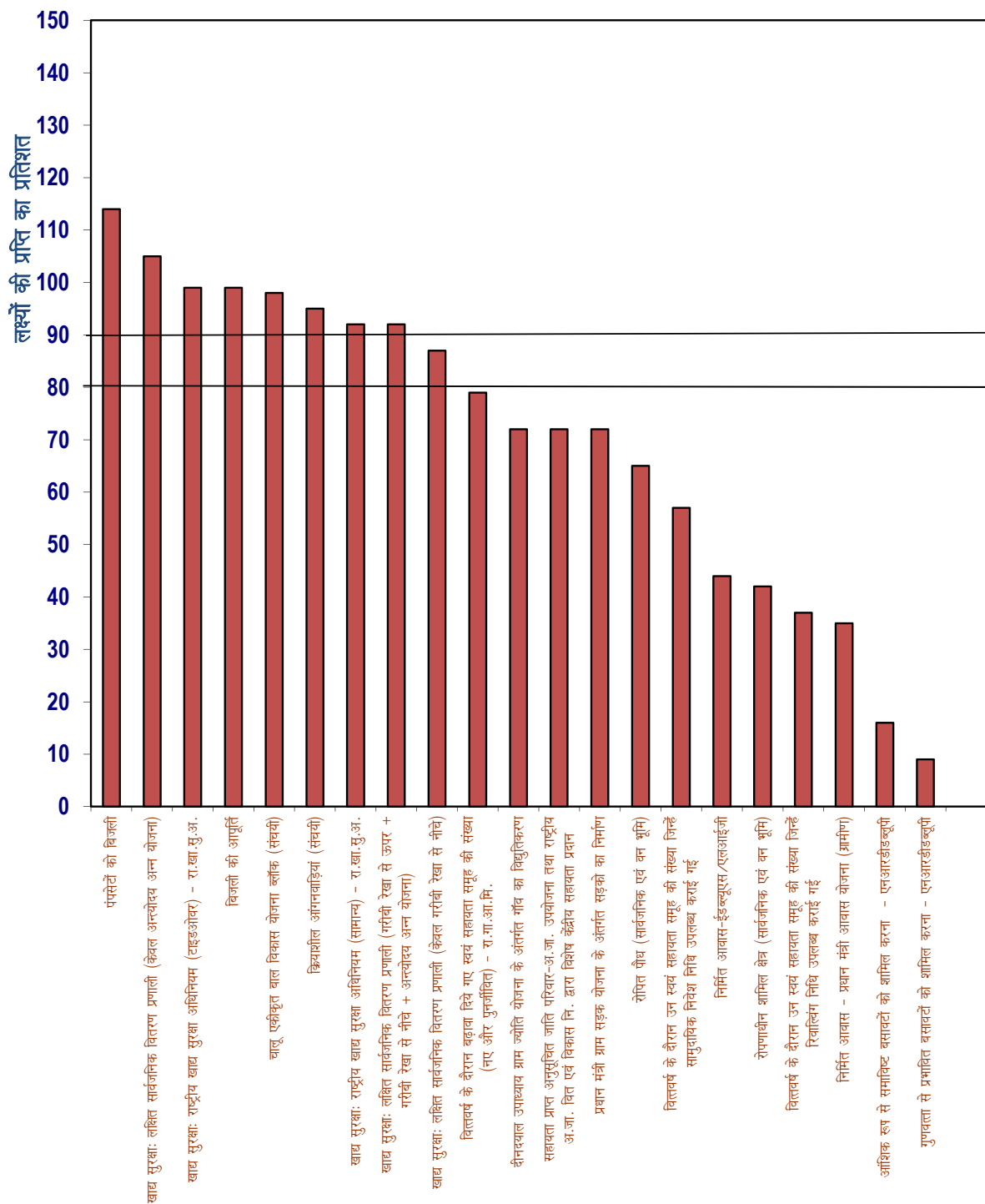
ख. “अच्छा” निष्पादन (80 प्रतिशत से अधिक किन्तु 90 प्रतिशत से नीचे)

9	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल गरीबी रेखा से नीचे)	87
---	---	----

ग. चिन्ताजनक क्षेत्र-जहाँ निष्पादन 80 प्रतिशत से कम है

10	वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा. गा.आ.मि.	79
11	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गोंव का विद्युत्तिकरण	72
12	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान	72
13	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़को का निर्माण	72
14	रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	65
15	वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई	58
16	निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी	44
17	रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	42
18	वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई	37
19	निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	35
20	आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्लूपी	16
21	गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्लूपी	9

अखिल भारतीय लक्ष्योन्मुखी मानकों का निष्पादन (अप्रैल से जून 2016 के दौरान)



तालिका - क
2016-2017 के लक्ष्य और अप्रैल से जून 2016 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां
(अखिल भारतीय निष्पादन)

क्रम संख्या	मद विवरण	इकाई	लक्ष्य		उपलब्धि	लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि अप्रैल - जून 2016
			2016-2017	अप्रैल - जून 2016	अप्रैल - जून 2016	
1	वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि.	संख्या	4,30,097	1,07,525	84,509	79
2	वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई	संख्या	2,39,056	59,762	22,376	37
3	वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई	संख्या	1,25,820	31,455	18,243	58
4	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)	टन	-	1,33,75,297	1,23,50,669	92
5	खाद्य सुरक्षा: अंतोदय अन्न योजना (एएवाई)	टन	-	2,63,343	2,76,238	105
6	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (बीपीएल)	टन	-	4,23,423	3,69,272	87
7	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ.	टन	-	1,18,21,899	1,09,33,203	92
8	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ.	टन	-	2,84,321	2,80,625	99
9	निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	संख्या	32,60,997	8,15,251	2,83,963	35
10	निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी	संख्या	2,38,024	59,512	26,012	44
11	आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी	संख्या	44,024	11,008	1,813	16
12	गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी	संख्या	12,812	3,203	300	9
13	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोगिता तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान	संख्या	1,81,000	36,196	25,905	72
14	चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी)	संख्या	7,075	7,075	6,947	98
15	क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	14,00,000	14,00,000	13,31,812	95
16	रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	हेक्टेयर	10,89,555	2,72,233	1,15,667	42
17	रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	संख्या	70,82,15,000	17,69,50,100	11,41,48,948	65
18	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़को का निर्माण	किलोमीटर	48,812	12,203	8,762	72
19	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गाँव का विद्युतिकरण	संख्या	8,360	2,092	1,504	72
20	पंपसेटों को बिजली	संख्या	4,44,057	1,07,262	1,21,750	114
21	प्रदान की गई बिजली	मिलियन यूनिट	-	2,90,603	2,88,069	99

तालिका - ख

अप्रैल से जून 2016 के दौरान विभिन्न मदों के अन्तर्गत राज्यवार निष्पादन (प्रतिशत उपलब्धियां)

क्रम संख्या	विवरण	अखिल भारतीय	आ० प्र०	अरुणा० प्र०	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	दिल्ली	गोवा
1	वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.भि.	79	0	0	66	213	83	लागू नहीं	0
2	वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई	37	लागू नहीं	0	52	72	56	लागू नहीं	0
3	वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई	58	लागू नहीं	लागू नहीं	31	61	58	लागू नहीं	लागू नहीं
4	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (गरीबी रेखा से ऊपर + गरीबी रेखा से नीचे + अन्त्योदय अन्न योजना)	92	93	94	96	84	100	98	94
5	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल अन्त्योदय अन्न योजना)	105	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल गरीबी रेखा से नीचे)	87	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ.	92	93	92	96	84	100	98	89
8	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ.	99	142	83	99	लागू नहीं	लागू नहीं	0	100
9	निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	35	26	0	46	37	4	लागू नहीं	0
10	निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी	44	0	223	0	140	9	0	लागू नहीं
11	आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी	16	171	0	5	1	2	लागू नहीं	0
12	गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी	9	3	0	1	6	0	लागू नहीं	लागू नहीं
13	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ. जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान	72	0	लागू नहीं	0	33	3	0	0
14	चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी)	98	100	100	100	100	100	100	109
15	क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी)	95	100	100	100	80	95	98	99
16	रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	42	20	0	0	27	0	0	0
17	रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	65	21	0	0	27	0	0	0
18	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण	72	64	41	18	124	32	लागू नहीं	लागू नहीं
19	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गाँव का विद्युत्करण	72	लागू नहीं	49	146	63	32	लागू नहीं	लागू नहीं
20	पंपसेटों को बिजली	114	245	लागू नहीं	लागू नहीं	0	126	लागू नहीं	82
21	बिजली की आपूर्ति	99	100	97	94	98	100	100	100

तालिका - ख (जारी)

अप्रैल से जून 2016 के दौरान विभिन्न मदों के अन्तर्गत राज्यवार निष्पादन (प्रतिशत उपलब्धियां)

क्रम संख्या	विवरण	अखिल भारतीय	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू कश्मीर	झारखण्ड	कर्नाटक	केरल
1	वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.भि.	79	534	52	98	67	70	15	लागू नहीं
2	वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई	37	49	26	22	23	46	47	791
3	वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई	58	74	18	21	लागू नहीं	70	181	लागू नहीं
4	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (गरीबी रेखा से ऊपर + गरीबी रेखा से नीचे + अन्त्योदय अन्न योजना)	92	98	105	100	104	93	104	104
5	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल अन्त्योदय अन्न योजना)	105	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	106
6	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल गरीबी रेखा से नीचे)	87	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	102
7	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ.	92	98	105	98	108	93	104	लागू नहीं
8	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ.	99	लागू नहीं	लागू नहीं	101	97	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	35	20	28	17	0	8	5	117
10	निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी	44	130	348	0	0	0	324	2
11	आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी	16	0	0	46	0	0	10	185
12	गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी	9	133	0	लागू नहीं	0	10	2	0
13	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ. जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान	72	61	35	0	1	0	0	1,218
14	चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी)	98	100	100	100	100	91	100	100
15	क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी)	95	99	100	100	93	100	98	99
16	रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	42	8	83	0	0	0	292	149
17	रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	65	8	112	0	0	0	326	409
18	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण	72	124	100	145	6	75	122	72
19	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गाँव का विद्युत्करण	72	लागू नहीं	लागू नहीं	89	0	73	20	लागू नहीं
20	पंपसेटों को बिजली	114	126	102	166	लागू नहीं	0	120	94
21	बिजली की आपूर्ति	99	100	100	99	82	100	99	100

तालिका - ख (जारी)

अप्रैल से जून 2016 के दौरान विभिन्न मदों के अन्तर्गत राज्यवार निष्पादन (प्रतिशत उपलब्धियां)

क्रम संख्या	विवरण	अखिल भारतीय	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	ओड़िशा
1	वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.भि.	79	61	38	155	71	6	9	142
2	वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई	37	70	7	0	27	1	0	17
3	वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई	58	11	128	0	0	0	0	61
4	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (गरीबी रेखा से ऊपर + गरीबी रेखा से नीचे + अन्त्योदय अन्न योजना)	92	76	92	40	109	73	106	105
5	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल अन्त्योदय अन्न योजना)	105	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	100	लागू नहीं
6	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल गरीबी रेखा से नीचे)	87	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	100	लागू नहीं
7	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ.	92	76	92	40	108	84	लागू नहीं	105
8	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ.	99	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	111	50	लागू नहीं	लागू नहीं
9	निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	35	13	11	0	1	1	0	43
10	निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी	44	0	29	0	0	0	0	0
11	आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी	16	38	24	15	0	0	0	19
12	गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी	9	118	5	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	6
13	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ. जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान	72	32	88	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	121
14	चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी)	98	100	100	100	100	100	98	100
15	क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी)	95	94	88	100	79	88	87	96
16	रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	42	0	22	0	0	0	0	0
17	रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	65	0	41	0	0	0	0	0
18	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण	72	21	55	229	50	86	86	85
19	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गॉव का विद्युत्करण	72	162	लागू नहीं	35	85	0	0	27
20	पंपसेटों को बिजली	114	293	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1,110
21	बिजली की आपूर्ति	99	100	100	95	100	97	98	100

तालिका - ख (जारी)

अप्रैल से जून 2016 के दौरान विभिन्न मदों के अन्तर्गत राज्यवार निष्पादन (प्रतिशत उपलब्धियां)

क्रम संख्या	विवरण	अखिल भारतीय	पुडुचेरी	पंजाब	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	तेल.	त्रिपुरा
1	वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.भि.	79	0	51	163	0	46	0	60
2	वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई	37	0	28	20	0	3,176	लागू नहीं	13
3	वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई	58	0	24	9	0	62	लागू नहीं	10
4	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (गरीबी रेखा से ऊपर + गरीबी रेखा से नीचे + अन्त्योदय अन्न योजना)	92	लागू नहीं	55	94	109	82	93	95
5	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल अन्त्योदय अन्न योजना)	105	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	100	लागू नहीं	लागू नहीं
6	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल गरीबी रेखा से नीचे)	87	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	82	लागू नहीं	लागू नहीं
7	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ.	92	लागू नहीं	55	94	100	लागू नहीं	93	87
8	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ.	99	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	121	लागू नहीं	88	108
9	निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	35	0	0	17	10	5	0	16
10	निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी	44	0	0	37	0	132	0	लागू नहीं
11	आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी	16	0	27	11	0	15	36	30
12	गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी	9	लागू नहीं	45	8	लागू नहीं	0	9	31
13	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ. जा. उपयोग तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान	72	0	321	43	0	0	59	0
14	चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी)	98	100	100	100	100	100	100	100
15	क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी)	95	92	98	97	98	100	100	98
16	रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	42	1,080	0	290	0	0	47	0
17	रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	65	620	0	279	0	0	277	0
18	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण	72	लागू नहीं	54	35	168	94	71	274
19	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गॉव का विद्युत्तकरण	72	लागू नहीं	लागू नहीं	127	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0
20	पंपसेटों को बिजली	114	67	65	92	लागू नहीं	115	237	लागू नहीं
21	बिजली की आपूर्ति	99	100	100	100	100	100	100	97

तालिका - ख (जारी)

अप्रैल से जून 2016 के दौरान विभिन्न मदों के अन्तर्गत राज्यवार निष्पादन (प्रतिशत उपलब्धियां)

क्रम संख्या	विवरण	अखिल भारतीय	उत्तराखंड	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	अंडमान निको0	चंडीगढ़	दादर ना0 ह0	दमन एवं दीव
1	वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.भि.	79	57	21	31	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई	37	10	19	22	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई	58	4	22	100	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (गरीबी रेखा से ऊपर + गरीबी रेखा से नीचे + अन्त्योदय अन्न योजना)	92	103	96	96	37	लागू नहीं	56	28
5	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल अन्त्योदय अन्न योजना)	105	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल गरीबी रेखा से नीचे)	87	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ.	92	103	96	95	63	लागू नहीं	56	28
8	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ.	99	101	लागू नहीं	लागू नहीं	33	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	35	20	68	83	0	लागू नहीं	0	0
10	निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी	44	0	0	141	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
11	आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी	16	84	0	8	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12	गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी	9	0	0	3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
13	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ. जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान	72	45	39	75	लागू नहीं	513	लागू नहीं	लागू नहीं
14	चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी)	98	100	91	96	100	100	100	100
15	क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी)	95	97	91	106	100	100	77	95
16	रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	42	72	9	103	59	0	0	0
17	रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	65	121	1	205	61	0	443	0
18	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़को का निर्माण	72	146	92	22	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
19	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गाँव का विद्युत्तिकरण	72	0	121	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
20	पंपसेटों को बिजली	114	56	61	1,130	लागू नहीं	लागू नहीं	0	600
21	बिजली की आपूर्ति	99	99	97	100	75	100	100	100

तालिका - ख (जारी)

अप्रैल से जून 2016 के दौरान विभिन्न मदों के अन्तर्गत राज्यवार निष्पादन (प्रतिशत उपलब्धियां)

क्रम संख्या	विवरण	अखिल भारतीय	
		भारतीय	लक्ष्य
1	वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.भि.	79	लागू नहीं
2	वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई	37	लागू नहीं
3	वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई	58	लागू नहीं
4	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (गरीबी रेखा से ऊपर + गरीबी रेखा से नीचे + अन्त्योदय अन्न योजना)	92	126
5	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल अन्त्योदय अन्न योजना)	105	लागू नहीं
6	खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल गरीबी रेखा से नीचे)	87	लागू नहीं
7	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ.	92	100
8	खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ.	99	138
9	निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	35	0
10	निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी	44	लागू नहीं
11	आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी	16	लागू नहीं
12	गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी	9	लागू नहीं
13	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ. जा. उपयोग तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान	72	लागू नहीं
14	चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी)	98	100
15	क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी)	95	100
16	रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	42	0
17	रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	65	0
18	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण	72	लागू नहीं
19	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गॉव का विद्युत्करण	72	लागू नहीं
20	पंपसेटों को बिजली	114	लागू नहीं
21	बिजली की आपूर्ति	99	100

तालिका - ग

मद जिनमें अप्रैल से जून 2016 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का निष्पादन बहुत अच्छा (90प्र0 से अधिक),अच्छा (90 प्र0 और 80 प्र0 के बीच) तथा खराब (80प्र0 से कम) निम्न प्रकार है:-

1. आन्ध्र प्रदेश

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ., आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी, चावू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), पंपसेटों को बिजली, प्रदान की गई बिजली

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी, गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोग तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

2. अरुणाचल प्रदेश

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी, चावू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), प्रदान की गई बिजली

अच्छा

खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ.

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई, निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी, गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गांव का विद्युत्करण

3. असम

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ., चावू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गांव का विद्युत्करण, प्रदान की गई बिजली

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई, वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई, निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी, आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी, गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोग तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

4. बिहार

बहुत अच्छा

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी, चावू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, प्रदान की गई बिजली

अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी)

खराब

वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई, वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई, निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी, गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोग तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गांव का विद्युत्करण, पंपसेटों को बिजली

5. छत्तीसगढ़

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), किसानों की आंगनवाड़ियाँ (संचयी), पंपसेटों को बिजली, प्रदान की गई बिजली

अच्छा

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि.

खराब

वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई, वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई, निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी, आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी, गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतीकरण

6. दिल्ली

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), किसानों की आंगनवाड़ियाँ (संचयी), प्रदान की गई बिजली

खराब

खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ., निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

7. गोवा

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), किसानों की आंगनवाड़ियाँ (संचयी), प्रदान की गई बिजली

अच्छा

खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., पंपसेटों को बिजली

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई, निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

8. गुजरात

बहुत अच्छा

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी, गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), किसानों की आंगनवाड़ियाँ (संचयी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, पंपसेटों को बिजली, प्रदान की गई बिजली

खराब

वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई, वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई, निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

9. हरियाणा

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईडी, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़को का निर्माण, पंपसेटों को बिजली, प्रधान की गई बिजली

अच्छा

रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवालिन्स निधि उपलब्ध कराई गई, वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई, निर्मित आवास - प्रथम मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीब्ल्यू, गुणवत्ता प्रमाणित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीब्ल्यू, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोगकर्ता तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान

10. हिमाचल प्रदेश

बहुत अच्छा

नितम्बर्षं के दौरान बढ़ावा दिये गए पर्यय समयात् समूह की संख्या (गए और पुनर्गणित) - रा.गा.आ.मि., खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान (टाइडको) - रा.खा.सु.अ., चारू पशुधन बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), कृषिशील आंगनवाड़ियाँ (संचयी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण, प्रसेप्टों को बिजली, योजना की गई बिजली

अच्छा

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गाँव का विद्युतिकरण

खराब

वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवालिंग निधि उपलब्ध कराई गई, वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें साधुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई, निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/उपलब्धता, आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों के शामिल करना - एनआरडीब्ल्यूपी, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-आ-घर/परिवारों तथा राष्ट्रीय आ. वित्त एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

11. जम्मू कश्मीर

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाडियाँ (संचयी)

अच्छा

प्रदान की गई बिजली

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए एवं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.ग.आ.मि., वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिनमें रितालिविंग निधि उपलब्ध कराई गई, निर्माण आवास - प्रथम मंजी आवास (ग्रामीण), निर्मित आवास-ई-सूच्य/एलआरजी, आर्थिक एवं सामाजिक सहायकों को शामिल करना - एनआरडीबीयू, गुप्तता से प्रभावित नवयौवकों को शामिल करना - एनआरडीबीयू, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.ज. उपव्योचना तथा राष्ट्रीय अ.ज. वित एवं विकास नि. द्वारा वित्तित केंद्रीय सहायता प्रदान, रोपणीधीन शामिल लोक (सावजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सावजनिक एवं वन भूमि), प्रथम मंत्री प्रा. सदस्य व्योचना के अंगत सड़क का निर्माण, दीनदयाल उपाध्याय प्रा. व्योति व्योचना के अंगत यौव का विद्युतिकरण

12. झारखण्ड

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियाँ (संचयी), प्रदान की गई बिजली

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए एवं सामयता समूह की संख्या (नए और पुनर्निर्मित) - रा.ग.आ.मि., वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्हें रियायतों तथा उपलब्ध कराई गई, वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश की उपलब्ध कराई गई, निर्मित या अर्थात् - प्रथम मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), निर्मित आवात-आवास/एलआईसी, आवास एवं सन्निधित्व बसावटों की शामिल करना - पन्ना(आईडीसी), पुनर्वसन से प्रभावित बसावटों की शामिल करना - पन्ना(आईडीसी), सामयता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.ज. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.ज. विपणन एवं विकास नि. रा.डा विद्ये केन्द्रीय सहायता प्रदान, पन्ना(आईसी) सामयता प्राप्त (संवर्धन) एवं नव भूमि), निर्मित गैह (सामंजसिक एवं नव भूमि), प्रथम मंत्री आम सहज योजना के अंतर्गत सहको को निर्माण, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम

13. कर्नाटक

बहुत अच्छा

वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई, खाद्य सुरक्षा: सशक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (विकीपीयन), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., निर्मित आवास-ईन्क्यूबएर/एलआरजी, बापू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), किसानों की ऑनलाइनवाडियाँ (संचयी), रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रचाराधीन ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, पसेटों की बिजली, प्रायद्वीप की १६६ बिजली

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवालिंग निधि उपलब्ध कराई गई, निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आर्थिक रूप से समक्षिण बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडीमूवी, गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडीमूवी, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अंगणवाड़ी, उपभोगिता तथा राष्ट्रीय अ.आ. वित्त एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान, दीनदत्त उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गाँव का वित्तकाल

14. केरल

बहुत अच्छा

नित्यतर्पण के दौरान उन स्वयं सम्पत्तया समूह की संख्या निम्नै रितालिखित निधि उपलब्ध कराई गई, चाय सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक विवरण प्रणाली (टीपीडीएस), चाय सुरक्षा: अंतोदय आन्ध्र प्रदेश (एवाईए), चाय सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक विवरण प्रणाली (बीपीएल), निर्मित अवास - प्रमाणित नवी आवास योजना (आपीन), आन्ध्र रूप से समाविष्ट बसाईयों को शामिल करना - एनआरआई प्रणाली, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति - प्रणाली परिवार-अ.जा. उपयोगना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सड़कना प्रदान, बास् एकेकृता बाल विकास योजना ब्कॉक (संचयी), क्रियाशील आनवाडिया (संचयी), रोणाण्याना शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पैथ (सार्वजनिक एवं वन भूमि), पंपसेटी पैथ (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

खराब

निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी, गुणवत्ता से प्रभावित बसावों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यूपी, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण

15. मध्य प्रदेश

बहुत अच्छा

गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनएआईडीब्ल्यूपी, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियाँ (संचयी), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गाँव का विद्युतीकरण, पंपसेटों को बिजली, प्रदान की गई बिजली

खराब

नित्यवर्त के दौरान नाममात्र विषय एवं स्वयं सहायता समूह की संस्थाएं (एच और एच यूएनपी) - राजा-आ.मि., वित्तवर्ग के दौरान एवं स्वयं सहायता समूह की संस्था जिन्हें विशालनिधि निधि उपलब्ध कराई गई है, वित्तवर्ग के दौरान एवं स्वयं सहायता समूह की संस्था जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई है, भाव सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), भाव सुरक्षा: राष्ट्रीय भाव सुरक्षा अभियान (सामनाय) - राजा-आ.मि., निर्मित अवास - प्रधान मंत्री अवास योजना (ग्रामीण), निर्मित अवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईसी, आंगिक श्रम से समाविष्ट बलायादों को शुभिलक - एकअराडीक्रीडा, सहप्रदान प्राय अनुपेक्षित जाति परिवार-अ.जा. उपयोगिता तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित एवं विकास मि. द्वारा विशेष केंद्रीय संगठनात्मक प्रदान, रोगप्रणीत शाश्वत क्षेत्र (सार्वजनिक एवं न भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं न भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

16. महाराष्ट्र

बहुत अच्छा

वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई, खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), प्रदान की गई बिजली

अच्छा

सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान, क्रियाशील आंगनवाडियां (संचयी)

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए पर्यटन सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रितविलिंग निधि उपलब्ध कराई गई, निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एनआरजी, आंशिक रूप से समाविष्ट बसावों को शामिल करना - एनआरजीडब्ल्यू, गुणवत्ता से प्रभावित बसावों को शामिल करना - एनआरजीडब्ल्यू, योगापीथीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

17. मणिपुर

बहुत अच्छा

नित्तियर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियाँ (संचयी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, प्रदान की गई बिजली

खराब

नित्तवर्ग के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या निर्दिष्ट निवारितिंग निधि उपलब्ध कराई गई, नित्तवर्ग के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या निर्दिष्ट सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई, खाद्य सुरक्षा लक्षित सामुदायिक वितरण प्रणाली (टीपीडीए), खाद्य सुरक्षा राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान (निवेग) - रा.छा.यु.अ., निर्मित आवास - प्रधान नई आवास योजना (ग्रामीण), निर्मित आवास-सहकृत्यसूचक/राष्‍ट्रीय आजीविका, आजीविका रूप से समन्वित बहालवर्ती को शामिल करना - एनआरडीएनबी, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोजना तथा राष्‍ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास नि. द्वारा वित्तीय केंद्रीय सहायता प्रदान, रोपणानि शामिल क्षेत्र (सर्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सर्वजनिक एवं वन भूमि), दीनदत्त उपाययोजना, वन विधेय योजना के अंतर्गत का विद्युतिका

18. मेघालय

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक विवरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), प्रदान की गई बिजली

अच्छा

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गाँव का विद्युत्तकरण

खराब

समूह के दौरान बड़ाया विये एवं स्वयं सहायता समूह की संस्था (नगर और पुर्णविविध) - रा.गा.आ.वि., वियवर्ग के दौरान एवं सहायता समूह की संस्था विये रिवाजिनि लिपि उपस्थापन कार्य गर्ह, वियवर्ग के दौरान एवं सहायता समूह की संस्था जिन्हें सामुदायिक विये निधि उपस्थापन कार्य गर्ह, निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), निर्मित आवास-इडम्बूरुस/एलमार्डी, आर्थिक रूप से समर्थक बसावटी के शापिक कक्षा - एनआरडीईडी, पुण्यास्था से प्रभावित बसावटी के शापिक कक्षा - एनआरडीईडी, सहायता ग्राम अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास नि. द्वारा वियेग्री कीद्वी सहायता ग्राम, वियग्रीग्री अनंजनाईया (संचयी), रोपणीग्री अनंजनाईया क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सहायक योजना के अंतर्गत सव्की का निर्माण

19. मिजोरम

बहुत अच्छा

चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), प्रदान की गई बिजली

अच्छा

खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़को का निर्माण

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.ग.आ.मि., वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवॉल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई, वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश रिवॉल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई, खाद्य सुरक्षा: लक्षित सामुदायिक वितरण प्वाँटों (दीयेडीडी), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडको) - रा.ग.आ.सु.अ., निर्मित आवास - प्रथम भी आवास योजना (आपीन), निर्मित आवास-ईडब्ल्यूभूरा/एलआजी, आंशिक रूप से समाविष्ट बसावों को समाविष्ट करना - एनआरडीइडब्ल्यू, रोपणीय गाँवों में स्थित क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पीथ (सार्वजनिक एवं वन भूमि), दीनदयाल उपाध्याय कानून ज्योतिष योजना के अंतर्गत पोषाधी सामूहिक निधि

20. नागालैंड

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: अंतोदय अन्न योजना (एएवाई), खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (बीपीएल), चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), प्रदान की गई बिजली

अच्छा

क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़को का निर्माण

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें निर्माणित निधि उपलब्ध कराई गई, वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई, निर्मित - अवाप्त - प्रदान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), निर्मित अवाप्त-इन्फ्रस्ट्रक्चर/एलआईसी, ओपिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरआई/बूथी, गुणवत्ता के दीनवत बसावटों को शामिल करना - एनआरआई/बूथी, आश्रित शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत गाँव का विद्युतीकरण

21. ओड़िशा

बहुत अच्छा

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.ग.आ.मि., खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.आ. उपयोगिता तथा राष्ट्रीय अ.आ. वित्त एवं विकास। प्रा.आ विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान, चालू एकीकृत मातृ विकास योजना ब्लॉक (संचयी), कृषिशील लक्षित (संचयी), पंपसेटों को जिला/प्रदेश की गई जिला

अच्छा

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़को का निर्माण

खराब

वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवालिंग निधि उपलब्ध कराई गई, वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें साधुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई, निर्मित आवास - प्रचलन मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), निर्मित आवास-इन्कस्पेक्टर/एलआईजी, आंशिक रूप से समाविष्ट आवासों की शामिल करना - एनआरडीईबी, गुणवत्ता से प्रभावित बसावों को शामिल करना - एनआरडीईबी, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं नगरीय), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं नगरीय), दीनदास उपाध्याय शरण ज्योति योजना के अंतर्गत शोध का दृष्टिकोण

22. पुडुचेरी

बहुत अच्छा

चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रदान की गई बिजली

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रियासतिंग निधि उपलब्ध कराई गई, वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई, निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी, आसिक रूप से समाविष्ट बसाये हुए आसिक - पनआरडीडब्ल्यूपी, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. स्वयं विकास नि. द्वारा वित्तिये केंद्रीय सहायता प्रधान. पंपसेटे को बिजली

23. पंजाब

बहुत अच्छा

सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान, चालु एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाडियां (संचयी), प्रदान की गई विजली

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ाया दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्हें रितालिनि विधि उपलब्ध कराई गई, वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई, आया सूचना: ललित सांस्कृतिक विवरण (पीपीसी), आया सूचना: राष्ट्रीय आया सूचना अभियान (सानान) - रा.अ.सू.अ., निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (प्राप्ति), निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी, आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरईडब्ल्यूपी, गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरईडब्ल्यूपी, रोगाणुजनित शाल भवन (सर्वजनिक एवं वन भूमि), रोजित भूमि (सर्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, परंपरेत को वजली

24. राजस्थान

बहुत अच्छा

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.ग.आ.पि., खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीआरएफ), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान (सामान्य) - रा.बा.सु.अ., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), किसानों की आनन-बाहियाँ (संचयी), रोपणशाला शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रॉपिड पैथ (सार्वजनिक एवं वन भूमि), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गौव का वित्तीयकरण, परपटों को जिनसी, प्रयत्न की संख्या

खराब

वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्हें रिवालिंग निधि उपलब्ध कराई गई, वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्हें साधुवायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई, निर्मित आवास - प्रचलन मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), निर्मित आवास-इन्क्यूसेटर/एलआईजी, आंशिक रूप से समाविष्ट आवासों की शामिल करना - एनआरडीएलए, गुणवत्ता से प्रभावित बसावों को शामिल करना - एनआरडीएलए, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास वि. द्वारा शोषण केन्द्रीय सहायता प्रदान, प्रचलन मंत्री आवास संरक्षण योजना के अंतर्गत सड़कों को निर्माण

25. सिक्किम

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियाँ (संचयी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, प्रधान की गई बिजली

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रियायति निधि उपलब्ध कराई गई, वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई, निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), निर्मित आवास-ईड्यूएस/एलआईजी, आंशिक रूप से समाविष्ट बसस्टॉपों के शामिल करना - पनआरडीसीआई, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-आ. उत्प्रेषण योजना राष्ट्रीय आ. वित्त एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्राप्त, रोपणगीठी शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

26. तमिलनाडु

बहुत अच्छा

वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई, छाया सुरक्षा: अंतोपेय अन्न योजना (एएवाई), निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़को का निर्माण, पंपसेटों को बिजली, प्रदान की गई बिजली

अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (बीपीएल)

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपखर्च कराई गई, निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीइयूपी, गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीइयूपी, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-आ. उपयोजना- एन राष्ट्रीय आ.आ. वित्त एवं विकास नि. द्वारा विशेषे केंद्रीय सहायता प्रदान, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

27. तेलंगाना

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियाँ (संचयी), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), पंपसेटों को बिजली, प्रधान की गई बिजली

अच्छा

खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ.

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी, आंशिक रूप से समाविष्ट बसावों को शामिल करना - एनआरडीइयूजी, गुणवत्ता से प्रभावित बसावों को शामिल करना - एनआरडीइयूजी, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त वर्ष 2019-2020 के अंतर्गत सड़क नि. क्षार विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विकास का निर्माण

28. त्रिपुरा

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आगनवाडियाँ (संचयी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, प्रदान की गई बिजली

अच्छा

खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ.

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्हें निश्चित निधि उपलब्ध कराई गई, वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्होंने सामुदायिक निवेश निधि का उपयोग करार्ह भूमि प्राप्त किया - प्रथम मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आवधिक स्तर से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनज़ारडीब्ल्यूपी, गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनज़ारडीब्ल्यूपी, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोजना द्वारा राष्ट्रीय अ.जा. विभाग द्वारा निधि। द्वारा वित्तवर्ष के दौरान ग्रामीण सहकारी सहायता प्राप्त, रोगप्रणीत शामिल क्षेत्र (सर्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित वृक्ष (सार्वजनिक एवं वन भूमि) विकास निधि उपाध्यक्ष प्राप्ति योग्यता के अंतर्गत गाँव का योग्यता निर्धारण

29. उत्तराखंड

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियाँ (संचयी), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, प्रधान की गई बिजली

अच्छा

आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीडब्ल्यू

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रितारिणीय वित्त उल्लंघन कराई एवं, वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें समुदायिक निवेश विधायन कराई गई, निर्दिष्ट आधार - प्रथम महीने आवास योजना (ग्रामीण), निर्मित आवास-हस्तगत/एलआईसी, गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीइड्युपी, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्राप्त, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), दीनदत्त उपग्राम ग्राम योनि योजना के अंतर्गत गांव का विद्युत्करण, एफटीओ को जलनी

30. उत्तर प्रदेश

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाडियाँ (संचयी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़को का निर्माण, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गाँव का विद्युतीकरण, प्रधान की गई बिजली

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें निर्माणित किया उल्लेख कराई गई, वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निर्माणित उल्लेख कराई गई, निर्माणित प्रान्त - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), निर्मित आवास-एडिडब्ल्यूएस/एलआईडी, आधिकार रूप से समाविष्ट बसावटों की शामिल करना - एनआरडीइडब्ल्यू, गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों की शामिल करना - एनआरडीइडब्ल्यू, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-रा.गा. अ.उपयोगिता तथा राष्ट्रीय अ.गा. वित्त एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान, रोजगाना शामिल क्षेत्र (सर्वजनिक एवं अर्ध-ग्रामी.) रोजगोपयोगी (सर्वजनिक एवं अर्ध-ग्रामी.) परसेटों की जगहों

31. पश्चिम बंगाल

बहत अच्छा

वितलवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई, खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (डीपीएफ), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सू.अ., निर्मित आवास-ईकूपएए/एलआजी, बापू एकीकृत बाल विकास प्रोग्राम ब्लॉक (संचयी), किसानों की आंगनवाडियाँ (संचयी), रोपणनीति शामिल की गई निवेश एवं वन भूमि, रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), पंपसेटी को बिजली, प्रधान की गई बिजली

अच्छा

निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

खराब

वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित) - रा.गा.आ.मि., वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्हें प्रतिनिधि निधि उपलब्ध कराई गई, आंशिक रूप से समाप्ति बसावटों को शामिल करना - एनआरडीइयूपी, गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना - एनआरडीइयूपी, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गौव का विद्युतीकरण

32. अंडमान और निकोबार

बहुत अच्छा

चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी)

खराब

खाद्य सुरक्षा: तक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (इडकडोवर) - रा.खा.सु.अ., निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएम), आंशिक रूप से समविष्ट बसावटों को शामिल करना - एनआरडीइब्ल्यू, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमी), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमी), प्रधान की गई बिजली

33. चंडीगढ़

बहुत अच्छा

सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार-अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास नि. द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), मदान की गई बिजली

खराब

निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

34. दादर और नगर हवेली

बहुत अच्छा

चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), मदान की गई बिजली

खराब

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), निर्मित आवास-ईडब्ल्यूएस/एलआईजी, क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), पंपसेटों को बिजली

35. दमन एवं दीव

बहुत अच्छा

चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), पंपसेटों को बिजली, मदान की गई बिजली

खराब

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

36. लक्षद्वीप

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ., खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), मदान की गई बिजली

खराब

निर्मित आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

बीस सूत्री कार्यक्रम - 2006

भाग -I I

मदवार निष्पादन तालिका

तालिका - 1

एनआरईजी योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जारी किए गए जॉब कार्ड (संख्या) अप्रैल 2016- जून 2016 @	सृजित रोजगार (संख्या) अप्रैल 2016- जून 2016	दी गई मजदूरी (रुपये) अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आन्ध्र प्रदेश	1,23,055	11,38,96,000	16,00,10,40,000
2	अरुणाचल प्रदेश	1,136	0	0
3	असम	53,402	1,19,30,000	6,68,29,13,000
4	बिहार	98,971	22,79,39,000	5,70,53,89,000
5	छत्तीसगढ़	0	4,50,07,000	11,42,17,06,000
6	गोवा	244	24,029	47,33,000
7	गुजरात	0	132	21,786
8	हरियाणा	54,238	16,55,000	58,06,000
9	हिमाचल प्रदेश	13,368	35,15,000	95,17,71,000
10	जम्मू कश्मीर	119	5,84,000	1,28,90,00,000
11	झारखण्ड	1,53,058	NR	NR
12	कर्नाटक	48,771	2,21,19,000	9,64,38,16,000
13	केरल	0	52,53,082	6,20,32,30,000
14	मध्य प्रदेश	0	0	0
15	महाराष्ट्र	51,594	3,52,00,671	6,70,44,49,000
16	मणिपुर	257	12,48,000	20,28,70,000
17	मेघालय	7,245	6,36,000	9,30,99,000
18	नागालैंड	0	NR	NR
19	ओड़िशा	839	NR	NR
20	पुडुचेरी	0	2,80,11,000	7,08,66,04,000
21	पंजाब	1,248	1,05,200	1,97,25,000
22	राजस्थान	39,592	54,48,000	1,89,75,77,000
23	सिक्किम	62,440	13,80,18,000	18,80,37,43,000
24	तमिलनाडु	0	7,84,021	2,581
25	तेलंगाना	77,415	11,70,67,000	16,33,95,83,000
26	त्रिपुरा	95,407	6,53,58,000	8,31,86,65,000
27	उत्तराखंड	0	NR	NR
28	उत्तर प्रदेश	0	43,36,000	1,76,53,26,000
29	पश्चिम बंगाल	90,012	5,49,96,452	14,32,75,53,000
30	अंडमान और निकोबार	94,842	2,53,04,000	32,11,80,88,000
31	चंडीगढ़	0	98,782	88,38,000
32	दादर और नगर हवेली	0	554	1,49,000
33	लक्षद्वीप	0	40	1,24,000
कुल योग		10,67,253	90,85,33,963	1,65,59,58,21,367

टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

@ आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त किए गए लिये गए हैं।

तालिका - 2(क)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - रा.गा.आ.मि
वित्तवर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या (नए और पुनर्जीवित)
(इकाई: संख्या)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
		2016-2017	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016 @	अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	आन्ध्र प्रदेश	6,860	1,715	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	340	85	0	0
3	असम	27,634	6,908	4,540	66
4	बिहार	55,902	13,976	29,772	213
5	छत्तीसगढ़	13,090	3,272	2,732	83
6	गोवा	1,218	305	0	0
7	गुजरात	7,250	1,813	9,683	534
8	हरियाणा	3,500	875	453	52
9	हिमाचल प्रदेश	1,270	318	312	98
10	जम्मू कश्मीर	6,290	1,572	1,046	67
11	झारखण्ड	25,390	6,347	4,460	70
12	कर्नाटक	47,876	11,969	1,813	15
13	केरल	-	-	1,543	-
14	मध्य प्रदेश	38,700	9,675	5,855	61
15	महाराष्ट्र	45,151	11,288	4,293	38
16	मणिपुर	453	113	175	155
17	मेघालय	1,524	381	270	71
18	मिजोरम	1,188	297	19	6
19	नागालैंड	2,500	625	59	9
20	ओडिशा	13,680	3,420	4,868	142
21	पुडुचेरी	1,239	310	0	0
22	पंजाब	2,380	595	301	51
23	राजस्थान	10,776	2,694	4,378	163
24	सिक्किम	1,255	314	0	0
25	तमिलनाडु	6,000	1,500	694	46
26	तेलंगाना	4,000	1,000	0	0
27	त्रिपुरा	2,700	675	408	60
28	उत्तराखंड	2,785	697	399	57
29	उत्तर प्रदेश	52,690	13,172	2,789	21
30	पश्चिम बंगाल	46,456	11,614	3,647	31
कुल योग		4,30,097	1,07,525	84,509	79

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान

अच्छा: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच)

छत्तीसगढ़

खराब: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम)

आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

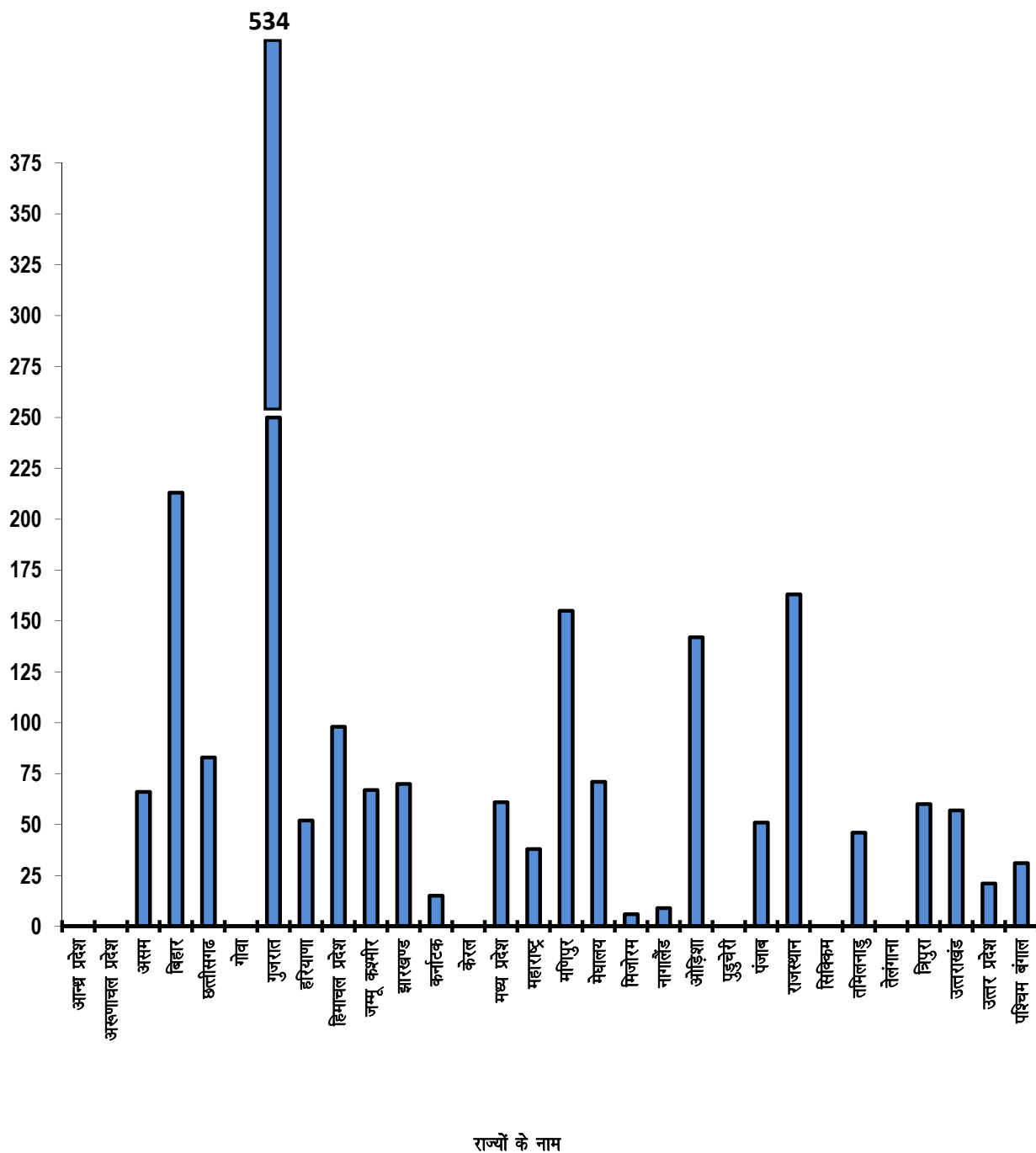
टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

@ आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त किए गए लिये गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम)

वित्त वर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या - नए और पुनर्जीवित

अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



तालिका - 2(ख)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - रा.गा.आ.मि
वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई
(इकाई: संख्या)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लक्ष्य		उपलब्ध	प्रतिशत उपलब्ध
		2016-2017	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016 @	अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	आन्ध्र प्रदेश	-	-	0	-
2	अरुणाचल प्रदेश	200	50	0	0
3	असम	19,620	4,905	2,550	52
4	बिहार	33,000	8,250	5,902	72
5	छत्तीसगढ़	8,342	2,086	1,173	56
6	गोवा	1,061	265	0	0
7	गुजरात	4,350	1,087	530	49
8	हरियाणा	2,500	625	163	26
9	हिमाचल प्रदेश	640	160	35	22
10	जम्मू कश्मीर	5,573	1,393	326	23
11	झारखण्ड	20,870	5,217	2,376	46
12	कर्नाटक	3,760	940	442	47
13	केरल	180	45	356	791
14	मध्य प्रदेश	13,000	3,250	2,289	70
15	महाराष्ट्र	47,255	11,813	768	7
16	मणिपुर	362	91	0	0
17	मेघालय	1,143	286	78	27
18	मिजोरम	941	235	3	1
19	नागालैंड	2,000	500	0	0
20	ओड़िशा	7,039	1,760	293	17
21	पुडुचेरी	1,333	333	0	0
22	पंजाब	1,600	400	110	28
23	राजस्थान	9,261	2,315	457	20
24	सिक्किम	1,166	292	0	0
25	तमिलनाडु	250	62	1,969	3,176
26	तेलंगाना	-	-	0	-
27	त्रिपुरा	2,172	543	68	13
28	उत्तराखंड	2,104	526	53	10
29	उत्तर प्रदेश	38,001	9,501	1,812	19
30	पश्चिम बंगाल	11,333	2,832	623	22
कुल योग		2,39,056	59,762	22,376	37

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

केरल, तमिलनाडु

खराब: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम)

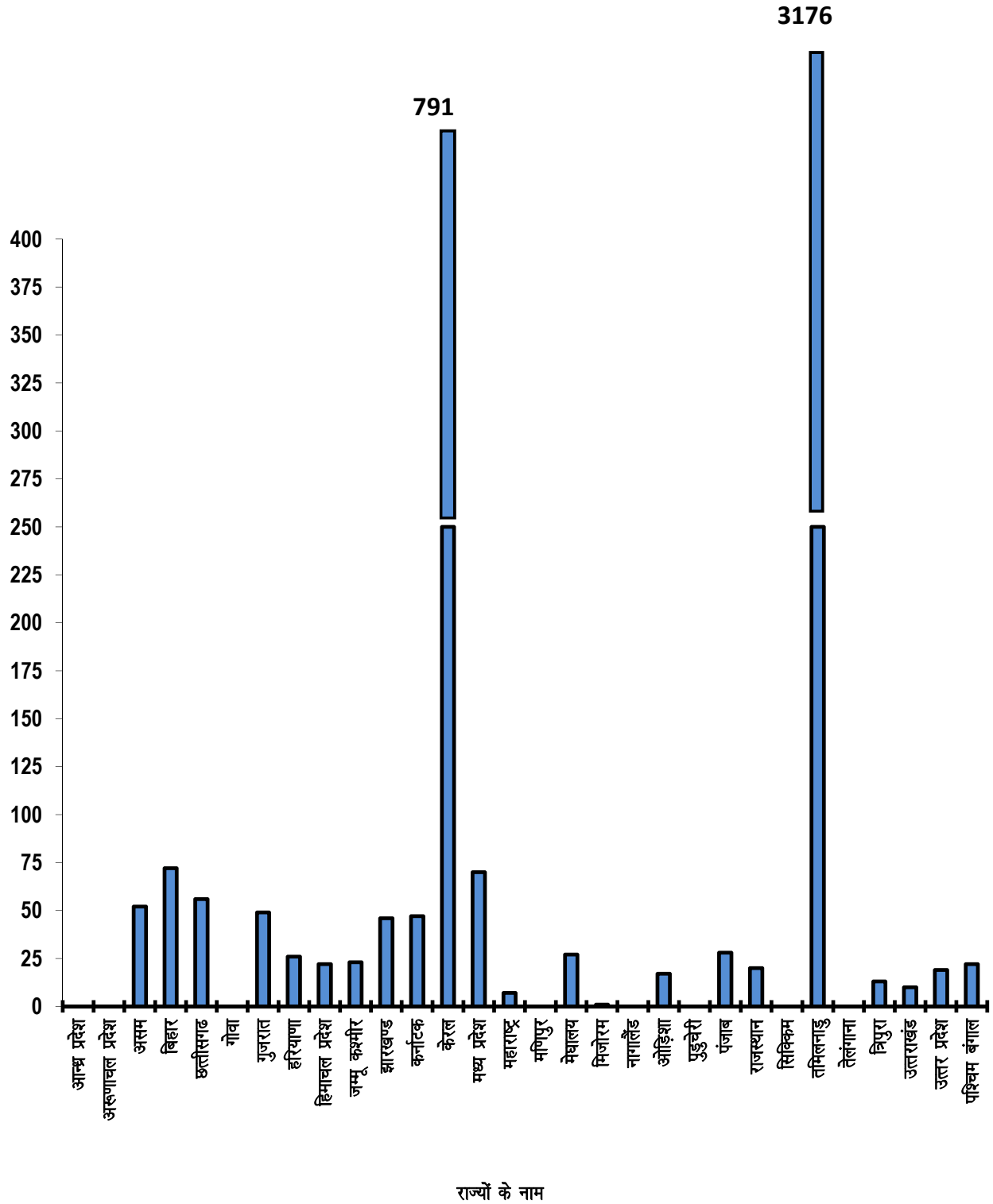
अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओड़िशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

@ आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त किए गए लिये गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम)

वित्त वर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई
अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



तालिका - 2(ग)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - रा.गा.आ.मि
वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई
(इकाई: संख्या)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
		2016-2017	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016 @	अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	आन्ध्र प्रदेश	-	-	0	-
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	0	-
3	असम	5,250	1,313	407	31
4	बिहार	33,000	8,250	5,073	61
5	छत्तीसगढ़	4,550	1,137	661	58
6	गुजरात	1,450	363	270	74
7	हरियाणा	750	187	34	18
8	हिमाचल प्रदेश	390	98	21	21
9	जम्मू कश्मीर	-	-	702	-
10	झारखण्ड	10,503	2,626	1,837	70
11	कर्नाटक	5,130	1,282	2,319	181
12	केरल	-	-	279	-
13	मध्य प्रदेश	13,000	3,250	349	11
14	महाराष्ट्र	2,228	557	713	128
15	मणिपुर	300	75	0	0
16	मेघालय	160	40	0	0
17	मिजोरम	1,108	277	0	0
18	नागालैंड	1,440	360	0	0
19	ओडिशा	6,864	1,716	1,052	61
20	पुडुचेरी	1,650	413	0	0
21	पंजाब	600	150	36	24
22	राजस्थान	3,500	875	79	9
23	सिक्किम	300	75	0	0
24	तमिलनाडु	6,000	1,500	923	62
25	तेलंगाना	-	-	0	-
26	त्रिपुरा	1,595	399	40	10
27	उत्तराखंड	737	184	7	4
28	उत्तर प्रदेश	14,800	3,700	809	22
29	पश्चिम बंगाल	10,515	2,628	2,632	100
कुल योग		1,25,820	31,455	18,243	58

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल

खराब: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम)

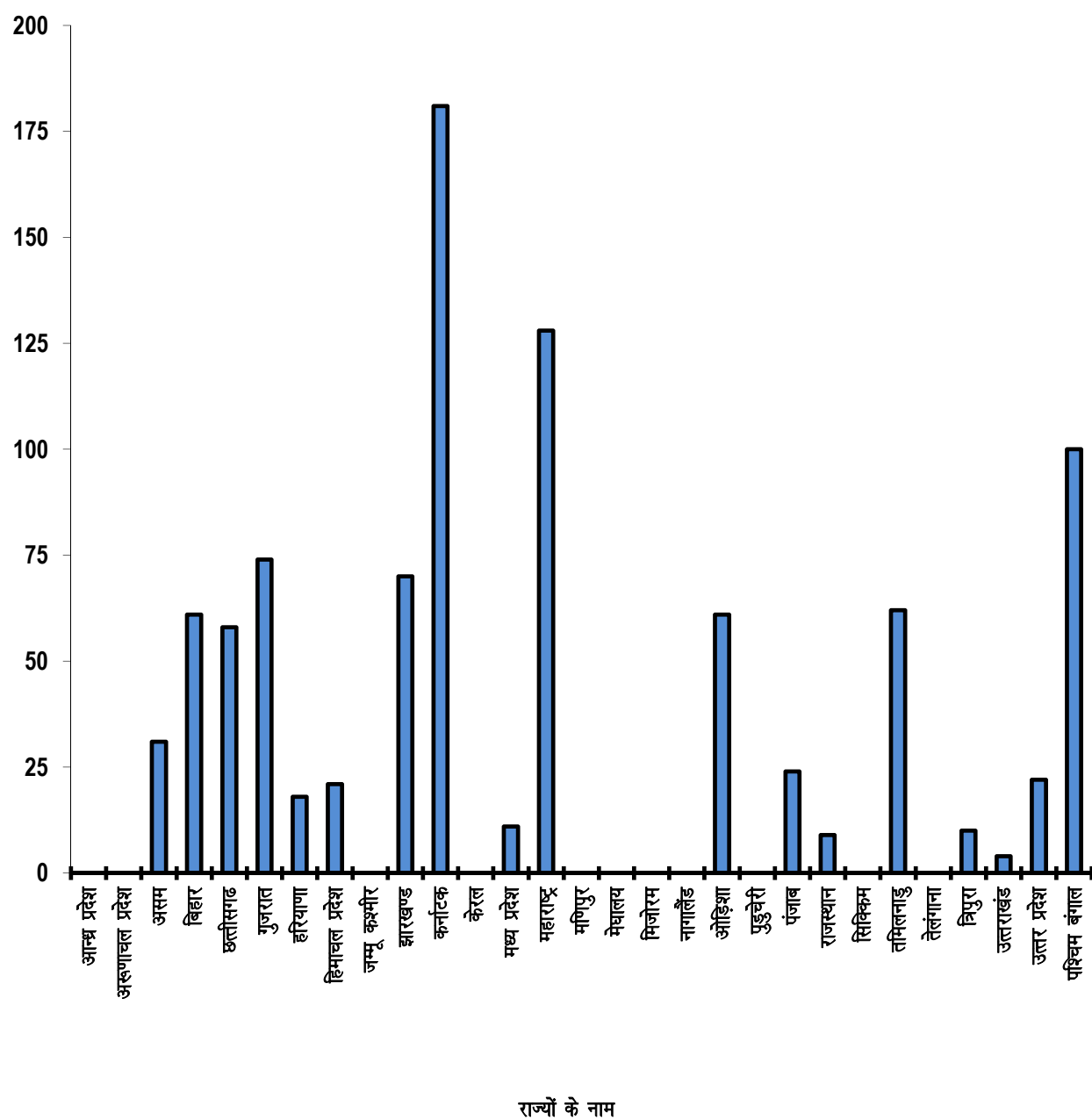
असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश

टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

@ आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त किए गए लिये गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम)

वित्तवर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई
अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



तालिका - 3(क)

भूमिहीनों को वितरित बंजर भूमि
(इकाई: हेक्टेयर)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	वितरित की गई कुल भूमि (हेक्टेयर) अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)
1	आन्ध्र प्रदेश	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	0
4	बिहार	24
5	छत्तीसगढ़	0
6	दिल्ली	NR
7	गोवा	0
8	गुजरात	0
9	हरियाणा	0
10	जम्मू कश्मीर	0
11	झारखण्ड	NR
12	कर्नाटक	0
13	केरल	0
14	मध्य प्रदेश	0
15	महाराष्ट्र	0
16	मणिपुर	0
17	मेघालय	0
18	मिजोरम	NR
19	नागालैंड	NR
20	ओड़िशा	7
21	पुडुचेरी	0
22	पंजाब	0
23	राजस्थान	0
24	सिक्किम	0
25	तमिलनाडु	0
26	तेलंगाना	543
27	त्रिपुरा	NR
28	उत्तराखण्ड	0
29	उत्तर प्रदेश	214
30	पश्चिम बंगाल	53
31	अंडमान और निकोबार	0
32	चंडीगढ़	0
33	दादर और नगर हवेली	0
34	दमन एंव दीव	0
35	लक्षद्वीप	0
कुल योग		841

टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

तालिका - 3(ख)

भूमिहीनों को वितरित बंजर भूमि

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अनु0 जा0 को वितरित भूमि (हेक्टेयर) अप्रैल 2016- जून 2016	अनु0ज0जा0 को वितरित भूमि (हेक्टेयर) अप्रैल 2016- जून 2016	अन्य को वितरित भूमि (हेक्टेयर) अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	0	0	0
4	बिहार	10	1	13
5	छत्तीसगढ़	0	0	0
6	दिल्ली	NR	NR	NR
7	गोवा	0	0	0
8	गुजरात	0	0	0
9	हरियाणा	0	0	0
10	जम्मू कश्मीर	0	0	0
11	झारखण्ड	NR	NR	NR
12	कर्नाटक	0	0	0
13	केरल	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	0	0	0
15	महाराष्ट्र	0	0	0
16	मणिपुर	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0
18	मिजोरम	NR	NR	NR
19	नागालैंड	NR	NR	NR
20	ओड़िशा	1	2	4
21	पुडुचेरी	0	0	0
22	पंजाब	0	0	0
23	राजस्थान	0	0	0
24	सिक्किम	0	0	0
25	तमिलनाडु	0	0	0
26	तेलंगाना	543	0	0
27	त्रिपुरा	NR	NR	NR
28	उत्तराखंड	0	0	0
29	उत्तर प्रदेश	70	0	144
30	पश्चिम बंगाल	10	8	35
31	अंडमान और निकोबार	0	0	0
32	चंडीगढ़	0	0	0
33	दादर और नगर हवेली	0	0	0
34	दमन एव दीव	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
कुल योग		634	11	196

टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

तालिका - 4(क)

न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म मजदूरों सहित)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	कृषि एवं फार्म कामगार: किए गए निरीक्षण (संख्या) अप्रैल 2016- जून 2016	कृषि एवं फार्म कामगार: पाई गई अनियमितताएं (संख्या) अप्रैल 2016- जून 2016	कृषि एवं फार्म कामगार: सुधारी गई अनियमितताएं (संख्या) अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	0	0	0
4	बिहार	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	0
6	दिल्ली	NR	NR	NR
7	गोवा	0	0	0
8	गुजरात	0	0	0
9	हरियाणा	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
11	जम्मू कश्मीर	0	0	0
12	झारखण्ड	NR	NR	NR
13	कर्नाटक	0	0	0
14	केरल	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	0	0	0
16	महाराष्ट्र	0	0	0
17	मणिपुर	0	0	0
18	मेघालय	0	0	0
19	मिजोरम	NR	NR	NR
20	नागालैंड	NR	NR	NR
21	ओड़िशा	0	0	0
22	पुडुचेरी	0	0	0
23	पंजाब	0	0	0
24	राजस्थान	0	0	0
25	सिक्किम	147	0	0
26	तमिलनाडु	27552	57	0
27	तेलंगाना	0	0	0
28	त्रिपुरा	NR	NR	NR
29	उत्तराखंड	0	0	0
30	उत्तर प्रदेश	0	0	0
31	पश्चिम बंगाल	709	1217	929
32	अंडमान और निकोबार	0	0	0
33	चंडीगढ़	51	46	0
34	दादर और नगर हवेली	0	0	0
35	दमन एंव दीव	0	0	0
36	लक्षद्वीप	0	0	0
कुल योग		28,459	1,320	929

टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

तालिका - 4(ख)

न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म मजदूरों सहित)
(इकाई: संख्या)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	कृषि एवं फार्म कामगार: दायर किए गए दावे (संख्या) अप्रैल 2016- जून 2016	कृषि एवं फार्म कामगार: निपटाए गए दावे (संख्या) अप्रैल 2016- जून 2016
		(3)	(4)
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	0	0
4	बिहार	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0
6	दिल्ली	NR	NR
7	गोवा	0	0
8	गुजरात	0	0
9	हरियाणा	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	0	0
11	जम्मू कश्मीर	0	0
12	झारखण्ड	NR	NR
13	कर्नाटक	0	0
14	केरल	0	0
15	मध्य प्रदेश	0	0
16	महाराष्ट्र	0	0
17	मणिपुर	0	0
18	मेघालय	0	0
19	मिजोरम	NR	NR
20	नागालैंड	NR	NR
21	ओडिशा	0	0
22	पुडुचेरी	0	0
23	पंजाब	0	0
24	राजस्थान	0	0
25	सिक्किम	0	0
26	तमिलनाडु	282	194
27	तेलंगाना	0	0
28	त्रिपुरा	NR	NR
29	उत्तराखंड	0	0
30	उत्तर प्रदेश	0	0
31	पश्चिम बंगाल	1	0
32	अंडमान और निकोबार	0	0
33	चंडीगढ़	21	0
34	दादर और नगर हवेली	0	0
35	दमन एंव दीव	0	0
36	लक्षद्वीप	0	0
कुल योग		304	194

टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

तालिका - 4(ग)

न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म मजदूरों सहित)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	कृषि एवं फार्म कामगार: लंबित अभियोजन दावे (संख्या) अप्रैल 2016-जून 2016	कृषि एवं फार्म कामगार: दायर अभियोजन मामले (संख्या) अप्रैल 2016-जून 2016	कृषि एवं फार्म कामगार: निर्णीत अभियोजन मामले (संख्या) अप्रैल 2016-जून 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	0	0	0
4	बिहार	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	0
6	दिल्ली	NR	NR	NR
7	गोवा	0	0	0
8	गुजरात	0	0	0
9	हरियाणा	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
11	जम्मू कश्मीर	0	0	0
12	झारखण्ड	NR	NR	NR
13	कर्नाटक	0	0	0
14	केरल	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	0	0	0
16	महाराष्ट्र	0	0	0
17	मणिपुर	0	0	0
18	मेघालय	0	0	0
19	मिजोरम	NR	NR	NR
20	नागालैंड	NR	NR	NR
21	ओड़िशा	0	0	0
22	पुडुचेरी	0	0	0
23	पंजाब	0	0	0
24	राजस्थान	0	0	0
25	सिक्किम	0	0	0
26	तमिलनाडु	1653	47	41
27	तेलंगाना	0	0	0
28	त्रिपुरा	NR	NR	NR
29	उत्तराखंड	0	0	0
30	उत्तर प्रदेश	0	0	0
31	पश्चिम बंगाल	3006	658	262
32	अंडमान और निकोबार	0	0	0
33	चंडीगढ़	18	0	0
34	दादर और नगर हवेली	0	0	0
35	दमन एंव दीव	0	0	0
36	लक्षद्वीप	0	0	0
कुल योग		4,677	705	303

टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

तालिका - 5(क)

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (गरीबी रेखा से ऊपर + गरीबी रेखा से नीचे + अन्त्योदय अन्न योजना)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	खाद्यान्नों का आबंटन (टन) अप्रैल 2016- जून 2016	कुल उठान (टन) अप्रैल 2016- जून 2016	खाद्यान्नों के आबंटन के संदर्भ में कुल उठान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आन्ध्र प्रदेश	4,67,961	4,35,991	93
2	अरुणाचल प्रदेश	22,248	20,843	94
3	असम	4,15,515	3,98,725	96
4	बिहार	13,73,466	11,51,548	84
5	छत्तीसगढ़	3,46,014	3,46,014	100
6	दिल्ली	1,12,442	1,09,689	98
7	गोवा	14,751	13,851	94
8	गुजरात	5,27,238	5,18,102	98
9	हरियाणा	1,98,750	2,08,792	105
10	हिमाचल प्रदेश	1,27,001	1,26,786	100
11	जम्मू कश्मीर	1,87,770	1,95,793	104
12	झारखण्ड	3,90,412	3,62,582	93
13	कर्नाटक	6,52,209	6,78,486	104
14	केरल	3,06,651	3,20,399	104
15	मध्य प्रदेश	8,68,008	6,56,194	76
16	महाराष्ट्र	11,51,298	10,60,039	92
17	मणिपुर	35,391	14,299	40
18	मेघालय	44,001	48,019	109
19	मिजोरम	16,439	11,944	73
20	नागालैंड	31,719	33,677	106
21	ओड़िशा	5,10,562	5,33,594	105
22	पुडुचेरी	0	0	-
23	पंजाब	2,17,530	1,19,346	55
24	राजस्थान	6,97,893	6,53,730	94
25	सिक्किम	11,082	12,039	109
26	तमिलनाडु	9,30,708	7,66,806	82
27	तेलंगाना	3,34,500	3,09,446	93
28	त्रिपुरा	67,751	64,389	95
29	उत्तराखंड	1,25,748	1,29,036	103
30	उत्तर प्रदेश	22,74,656	21,76,249	96
31	पश्चिम बंगाल	9,03,288	8,68,416	96
32	अंडमान और निकोबार	7,391	2,711	37
33	चंडीगढ़	0	0	-
34	दादर और नगर हवेली	2,244	1,257	56
35	दमन एव दीव	1,505	427	28
36	लक्षद्वीप	1,155	1,450	126
कुल योग		1,33,75,297	1,23,50,669	92

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओड़िशा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप

अच्छा: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच)

बिहार, तमिलनाडु

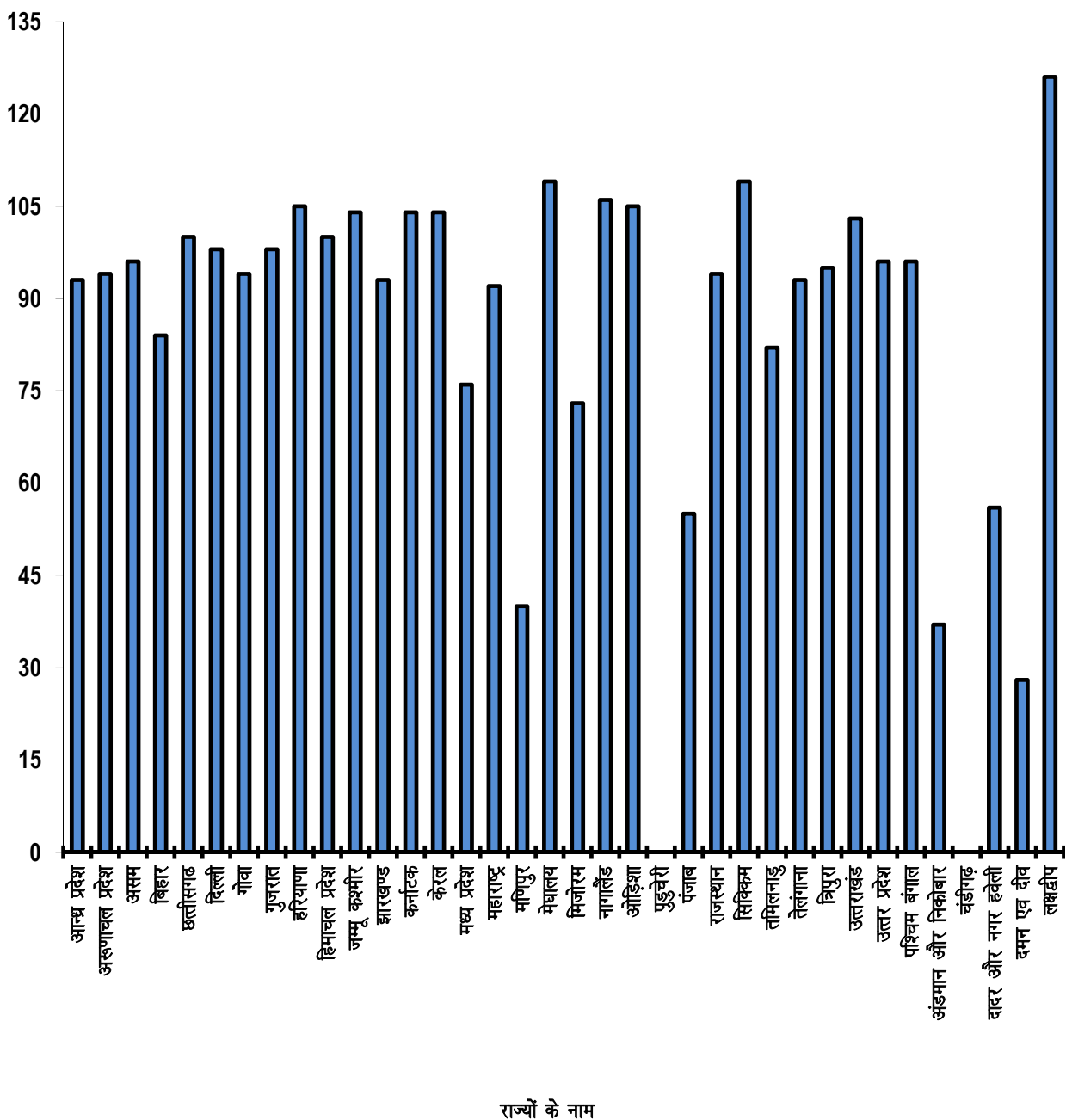
खराब: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम)

मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, अंडमान और निकोबार, दादर और नगर हवेली, दमन एव दीव

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अन्त्योदय अन्न योजना + गरीबी रेखा से ऊपर + गरीबी रेखा से नीचे)

उठान

अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



तालिका - 5(ख)

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल अन्त्योदय अन्न योजना)

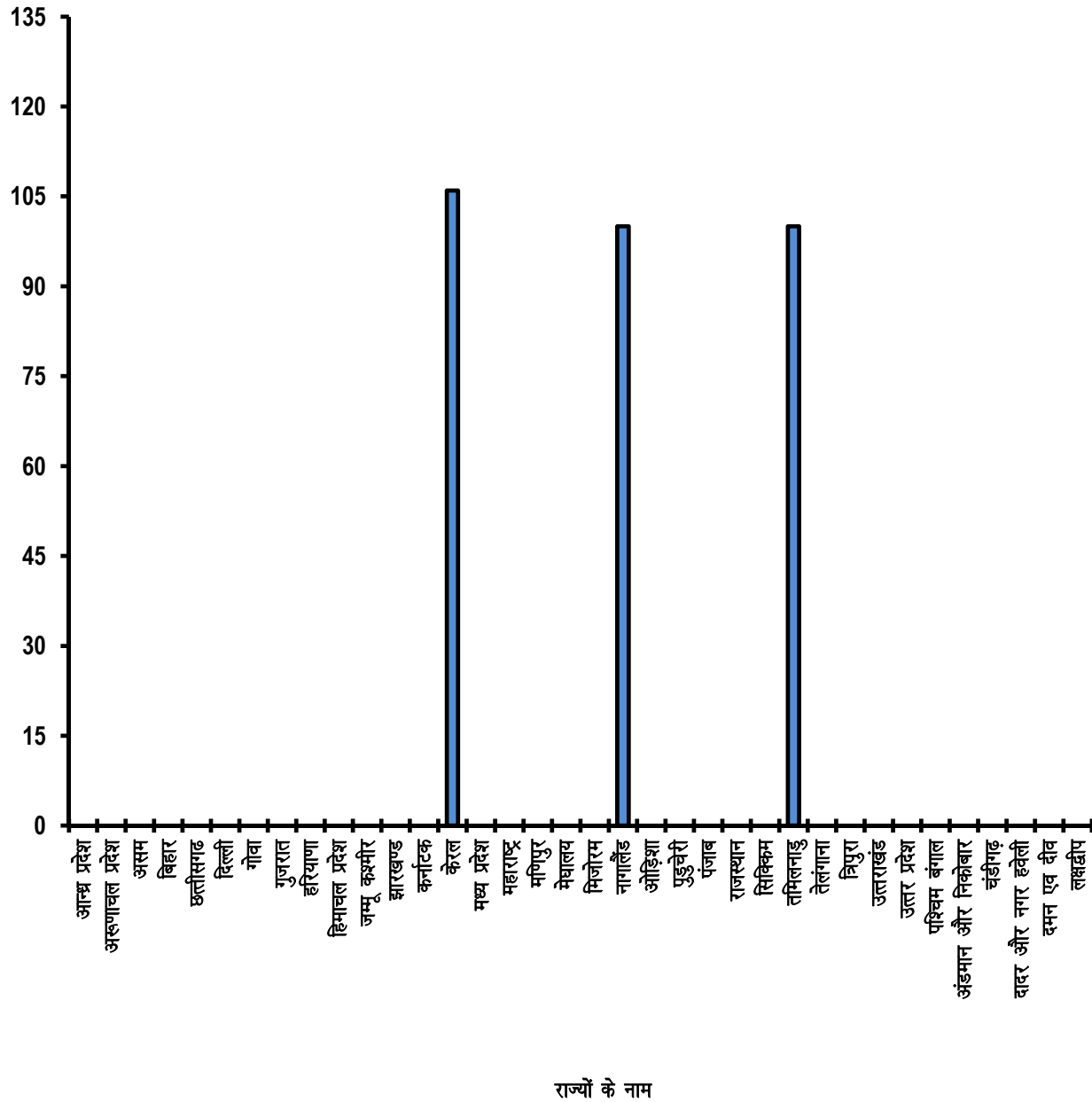
क्रम संख्या	राज्य का नाम	खाद्यान्नों का आबंटन (टन) अप्रैल 2016- जून 2016	कुल उठान (टन) अप्रैल 2016- जून 2016	खाद्यान्नों के आबंटन के संदर्भ में कुल उठान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	-
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	-
3	असम	0	0	-
4	बिहार	0	0	-
5	छत्तीसगढ़	0	0	-
6	दिल्ली	0	0	-
7	गोवा	0	0	-
8	गुजरात	0	231	-
9	हरियाणा	0	0	-
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	-
11	जम्मू कश्मीर	0	1,080	-
12	झारखण्ड	0	0	-
13	कर्नाटक	0	0	-
14	केरल	62,565	66,618	106
15	मध्य प्रदेश	0	0	-
16	महाराष्ट्र	0	0	-
17	मणिपुर	0	0	-
18	मेघालय	0	0	-
19	मिजोरम	0	0	-
20	नागालैंड	4,992	4,992	100
21	ओडिशा	0	0	-
22	पुडुचेरी	0	0	-
23	पंजाब	0	0	-
24	राजस्थान	0	0	-
25	सिक्किम	0	0	-
26	तमिलनाडु	1,95,786	1,96,085	100
27	तेलंगाना	0	0	-
28	त्रिपुरा	0	0	-
29	उत्तराखण्ड	0	0	-
30	उत्तर प्रदेश	0	11	-
31	पश्चिम बंगाल	0	7,221	-
32	अंडमान और निकोबार	0	0	-
33	चंडीगढ़	0	0	-
34	दादर और नगर हवेली	0	0	-
35	दमन एंव दीव	0	0	-
36	लक्षद्वीप	0	0	-
कुल योग		2,63,343	2,76,238	105

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)
केरल, नागालैंड, तमिलनाडु

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल अंत्योदय अन्न योजना)

उठान

अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



तालिका - 5(ग)

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल गरीबी रेखा से नीचे)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	खाद्यान्नों का आबंटन (टन) अप्रैल 2016- जून 2016	कुल उठान (टन) अप्रैल 2016- जून 2016	खाद्यान्नों के आबंटन के संदर्भ में कुल उठान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	-
2	अरुणाचल प्रदेश	0	81	-
3	असम	0	0	-
4	बिहार	0	0	-
5	छत्तीसगढ़	0	0	-
6	दिल्ली	0	0	-
7	गोवा	0	0	-
8	गुजरात	0	69	-
9	हरियाणा	0	0	-
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	-
11	जम्मू कश्मीर	0	0	-
12	झारखण्ड	0	0	-
13	कर्नाटक	0	0	-
14	केरल	1,00,587	1,02,727	102
15	मध्य प्रदेश	0	0	-
16	महाराष्ट्र	0	0	-
17	मणिपुर	0	0	-
18	मेघालय	0	0	-
19	मिजोरम	0	0	-
20	नागालैंड	8,028	8,028	100
21	ओड़िशा	0	0	-
22	पुडुचेरी	0	0	-
23	पंजाब	0	0	-
24	राजस्थान	0	0	-
25	सिक्किम	0	0	-
26	तमिलनाडु	3,14,808	2,58,367	82
27	तेलंगाना	0	0	-
28	त्रिपुरा	0	0	-
29	उत्तराखंड	0	0	-
30	उत्तर प्रदेश	0	0	-
31	पश्चिम बंगाल	0	0	-
32	अंडमान और निकोबार	0	0	-
33	चंडीगढ़	0	0	-
34	दादर और नगर हवेली	0	0	-
35	दमन एंव दीव	0	0	-
36	लक्षद्वीप	0	0	-
कुल योग		4,23,423	3,69,272	87

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

केरल, नागालैंड

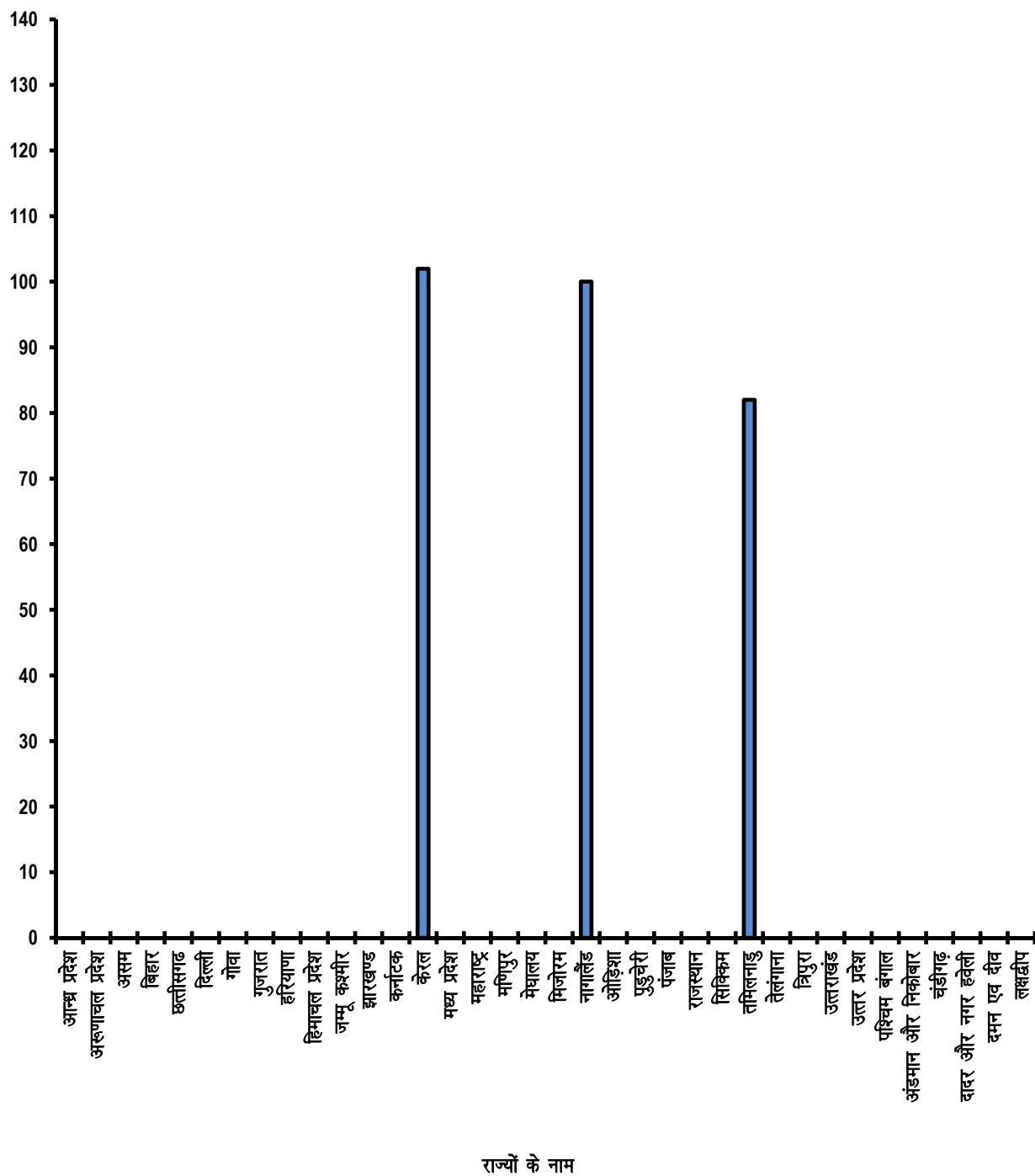
अच्छा: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच)

तमिलनाडु

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल गरीबी रेखा से नीचे)

उठान

अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



तालिका - 5(घ)

खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) - रा.खा.सु.अ.

क्रम संख्या	राज्य का नाम	खाद्यान्नों का आबंटन (टन) अप्रैल 2016- जून 2016	खाद्यान्नों का आबंटन (टन) अप्रैल 2016- जून 2016	खाद्यान्नों के आबंटन के संदर्भ में कुल उठान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आन्ध्र प्रदेश	4,62,445	4,28,177	93
2	अरुणाचल प्रदेश	14,031	12,952	92
3	असम	3,90,699	3,74,234	96
4	बिहार	13,73,466	11,51,548	84
5	छत्तीसगढ़	3,46,014	3,46,014	100
6	दिल्ली	1,12,426	1,09,689	98
7	गोवा	8,355	7,455	89
8	गुजरात	5,27,238	5,16,730	98
9	हरियाणा	1,98,750	2,08,792	105
10	हिमाचल प्रदेश	47,338	46,488	98
11	जम्मू कश्मीर	1,18,704	1,27,965	108
12	झारखण्ड	3,90,412	3,62,582	93
13	कर्नाटक	6,52,209	6,78,486	104
14	केरल	0	0	-
15	मध्य प्रदेश	8,68,008	6,55,399	76
16	महाराष्ट्र	11,51,298	10,60,039	92
17	मणिपुर	35,391	14,299	40
18	मेघालय	32,400	35,145	108
19	मिजोरम	11,133	9,305	84
20	नागालैंड	0	1,496	-
21	ओड़िशा	5,10,562	5,33,594	105
22	पुडुचेरी	0	0	-
23	पंजाब	2,17,530	1,19,346	55
24	राजस्थान	6,97,893	6,53,730	94
25	सिक्किम	6,576	6,597	100
26	तमिलनाडु	0	0	-
27	तेलंगाना	3,24,012	3,00,214	93
28	त्रिपुरा	41,571	36,063	87
29	उत्तराखंड	1,00,365	1,03,505	103
30	उत्तर प्रदेश	22,74,656	21,76,238	96
31	पश्चिम बंगाल	9,03,288	8,54,427	95
32	अंडमान और निकोबार	999	629	63
33	चंडीगढ़	0	0	-
34	दादर और नगर हवेली	2,244	1,257	56
35	दमन एंव दीव	1,505	427	28
36	लक्षद्वीप	381	381	100
कुल योग		1,18,21,899	1,09,33,203	92

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, ओड़िशा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप

अच्छा: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच)

बिहार, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा

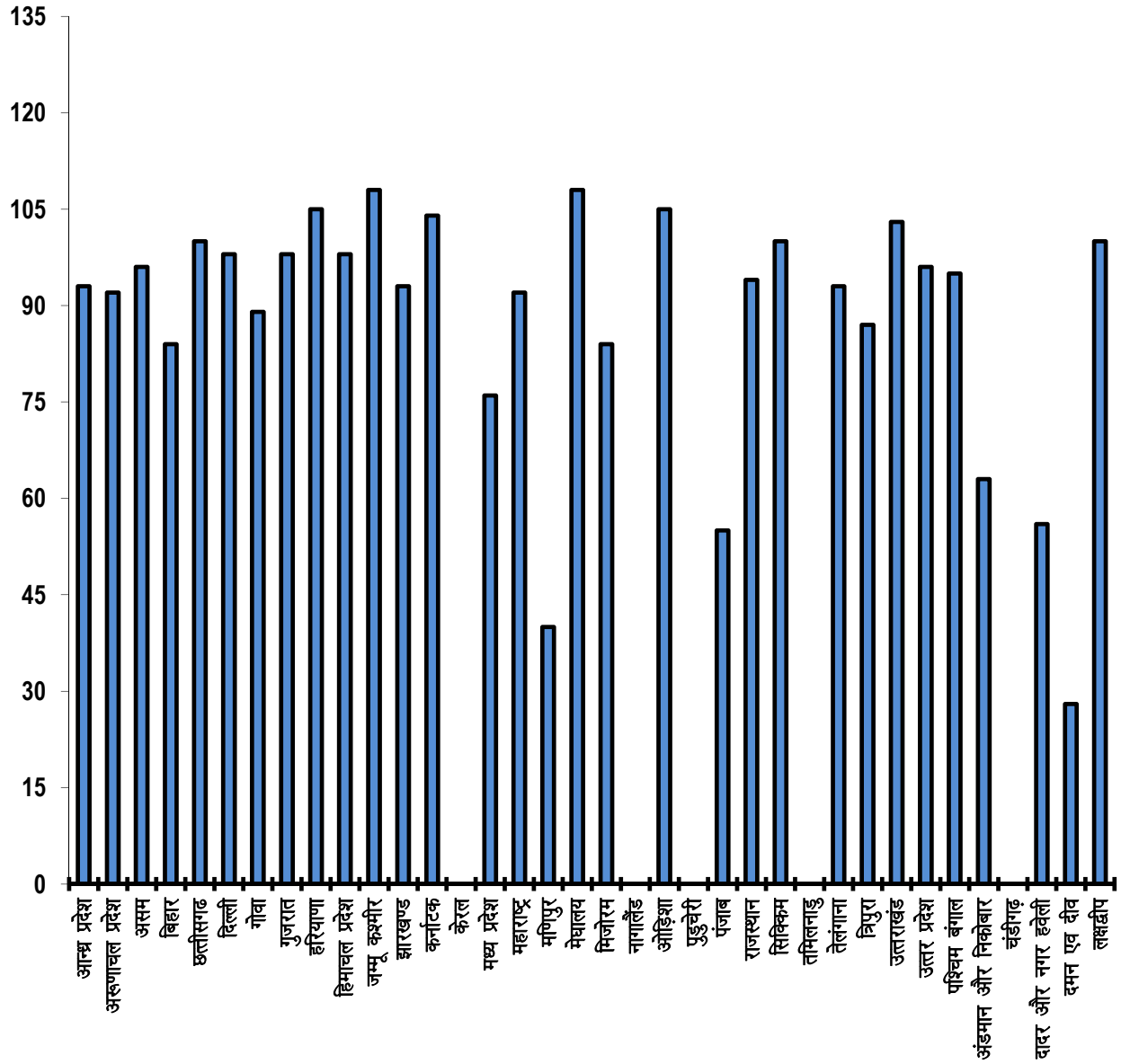
खराब: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम)

मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, अंडमान और निकोबार, दादर और नगर हवेली, दमन एंव दीव

खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य)

उठान

अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



राज्यों के नाम

तालिका - 5(इ)

खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर) - रा.खा.सु.अ.

क्रम संख्या	राज्य का नाम	खाद्यान्नों का आबंटन (टन) अप्रैल 2016- जून 2016	खाद्यान्नों का आबंटन (टन) अप्रैल 2016- जून 2016	खाद्यान्नों के आबंटन के संदर्भ में कुल उठान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आन्ध्र प्रदेश	5,517	7,814	142
2	अरुणाचल प्रदेश	8,217	6,852	83
3	असम	24,816	24,471	99
4	बिहार	0	0	-
5	छत्तीसगढ़	0	0	-
6	दिल्ली	16	0	0
7	गोवा	6,396	6,396	100
8	गुजरात	0	0	-
9	हरियाणा	0	0	-
10	हिमाचल प्रदेश	79,663	80,298	101
11	जम्मू कश्मीर	69,066	66,748	97
12	झारखण्ड	0	0	-
13	कर्नाटक	0	0	-
14	केरल	0	0	-
15	मध्य प्रदेश	0	795	-
16	महाराष्ट्र	0	0	-
17	मणिपुर	0	0	-
18	मेघालय	11,601	12,874	111
19	मिजोरम	5,306	2,639	50
20	नागालैंड	0	56	-
21	ओड़िशा	0	0	-
22	पुडुचेरी	0	0	-
23	पंजाब	0	0	-
24	राजस्थान	0	0	-
25	सिक्किम	4,506	5,442	121
26	तमिलनाडु	0	0	-
27	तेलंगाना	10,488	9,232	88
28	त्रिपुरा	26,180	28,326	108
29	उत्तराखंड	25,383	25,531	101
30	उत्तर प्रदेश	0	0	-
31	पश्चिम बंगाल	0	0	-
32	अंडमान और निकोबार	6,392	2,082	33
33	चंडीगढ़	0	0	-
34	दादर और नगर हवेली	0	0	-
35	दमन एंव दीव	0	0	-
36	लक्षद्वीप	774	1,069	138
कुल योग		2,84,321	2,80,625	99

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

आन्ध्र प्रदेश, असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, लक्षद्वीप

अच्छा: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच)

अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना

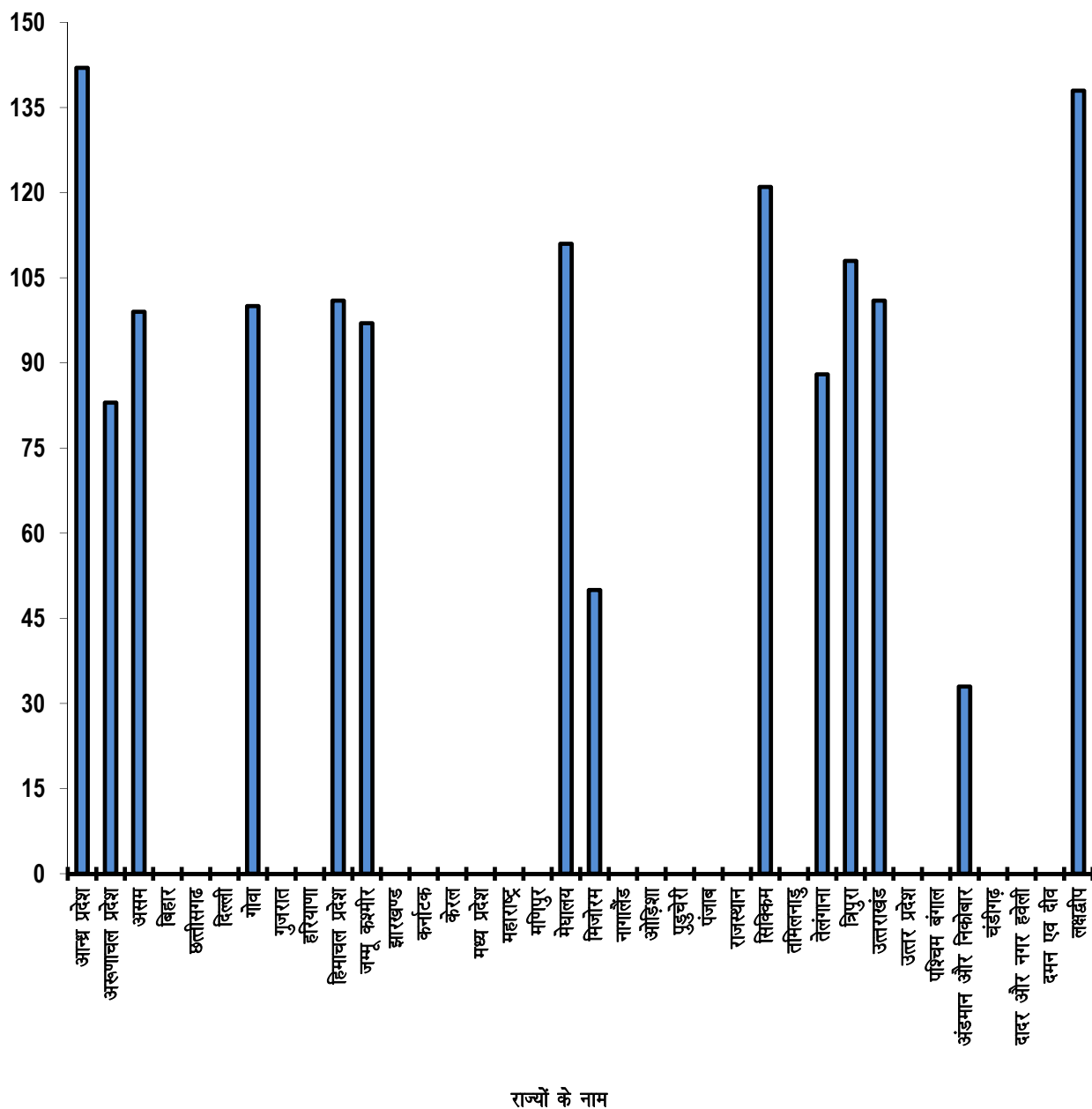
खराब: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम)

दिल्ली, मिजोरम, अंडमान और निकोबार

खाद्य सुरक्षा-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइडओवर)

उठान

अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



तालिका - 6

ग्रामीण आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

निर्मित आवास

(इकाई: संख्या)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
		2016-2017	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016 @	अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	आन्ध्र प्रदेश	56,111	14,028	3,706	26
2	अरुणाचल प्रदेश	6,754	1,689	0	0
3	असम	1,64,245	41,062	18,691	46
4	बिहार	4,76,715	1,19,178	43,924	37
5	छत्तीसगढ़	1,74,119	43,530	1,877	4
6	गोवा	761	190	0	0
7	गुजरात	84,924	21,231	4,302	20
8	हरियाणा	19,106	4,776	1,331	28
9	हिमाचल प्रदेश	3,644	911	158	17
10	जम्मू कश्मीर	12,724	3,181	11	0
11	झारखण्ड	1,72,588	43,147	3,582	8
12	कर्नाटक	69,576	17,394	842	5
13	केरल	24,341	6,085	7,108	117
14	मध्य प्रदेश	3,35,036	83,759	10,827	13
15	महाराष्ट्र	1,72,264	43,066	4,762	11
16	मणिपुर	8,459	2,115	0	0
17	मेघालय	12,732	3,183	26	1
18	मिजोरम	3,593	899	11	1
19	नागालैंड	6,840	1,710	0	0
20	ओड़िशा	2,96,127	74,031	31,595	43
21	पुडुचेरी	321	80	0	0
22	पंजाब	18,293	4,573	0	0
23	राजस्थान	1,87,094	46,774	8,068	17
24	सिक्किम	1,957	489	48	10
25	तमिलनाडु	1,31,831	32,958	1,662	5
26	तेलंगाना	38,097	9,525	0	0
27	त्रिपुरा	17,741	4,436	713	16
28	उत्तराखंड	8,120	2,030	406	20
29	उत्तर प्रदेश	4,30,065	1,07,516	72,995	68
30	पश्चिम बंगाल	3,26,338	81,584	67,318	83
31	अंडमान और निकोबार	157	39	0	0
32	दादर और नगर हवेली	227	57	0	0
33	दमन एव दीव	40	10	0	0
34	लक्षद्वीप	57	15	0	0
कुल योग		32,60,997	8,15,251	2,83,963	35

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

केरल

अच्छा: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच)

पश्चिम बंगाल

खराब: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम)

आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओड़िशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार, दादर और नगर हवेली, दमन एव दीव, लक्षद्वीप

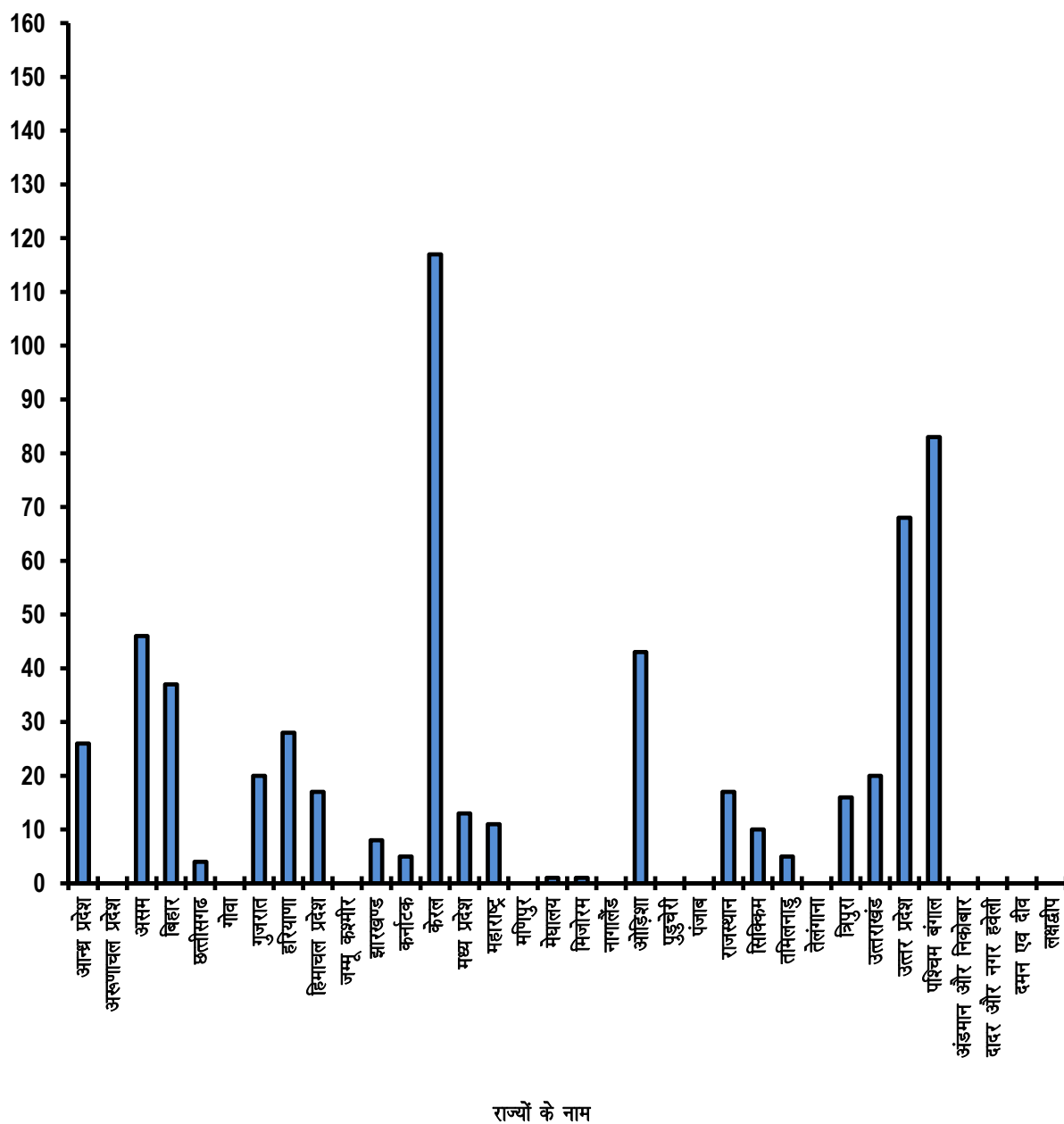
टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

@ आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त किए गए लिये गए हैं।

ग्रामीण आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

निर्मित आवास

अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



तालिका - 7

शहरी क्षेत्रों में ई डब्ल्यू एस/एल आई जी आवास
निर्मित आवास
(इकाई: संख्या)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि अप्रैल 2016- जून 2016	प्रतिशत उपलब्धि अप्रैल 2016- जून 2016
		2016-2017	अप्रैल 2016- जून 2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	आन्ध्र प्रदेश	14,440	3,610	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	752	188	420	223
3	असम	3,160	790	0	0
4	बिहार	18,302	4,576	6,396	140
5	छत्तीसगढ़	11,002	2,751	256	9
6	दिल्ली	28,080	7,020	NR	0
7	गुजरात	12,471	3,118	4,048	130
8	हरियाणा	472	118	411	348
9	हिमाचल प्रदेश	1,312	328	0	0
10	जम्मू कश्मीर	7,475	1,869	0	0
11	झारखण्ड	2,613	653	NR	0
12	कर्नाटक	1,351	340	1,101	324
13	केरल	6,875	1,719	40	2
14	मध्य प्रदेश	3,933	983	0	0
15	महाराष्ट्र	46,646	11,662	3,358	29
16	मणिपुर	8	2	0	0
17	मेघालय	588	147	0	0
18	मिजोरम	121	30	NR	0
19	नागालैंड	1,454	364	NR	0
20	ओडिशा	3,948	987	0	0
21	पुडुचेरी	224	56	0	0
22	पंजाब	1,038	260	0	0
23	राजस्थान	10,486	2,622	982	37
24	सिक्किम	33	8	0	0
25	तमिलनाडु	13,138	3,285	4,327	132
26	तेलंगाना	9,883	2,471	0	0
27	त्रिपुरा	-	-	NR	-
28	उत्तराखंड	1,772	443	0	0
29	उत्तर प्रदेश	18,197	4,549	5	0
30	पश्चिम बंगाल	13,194	3,299	4,668	141
31	चंडीगढ़	4,960	1,240	0	0
32	दादर और नगर हवेली	96	24	0	0
कुल योग		2,38,024	59,512	26,012	44

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल

खराब: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम)

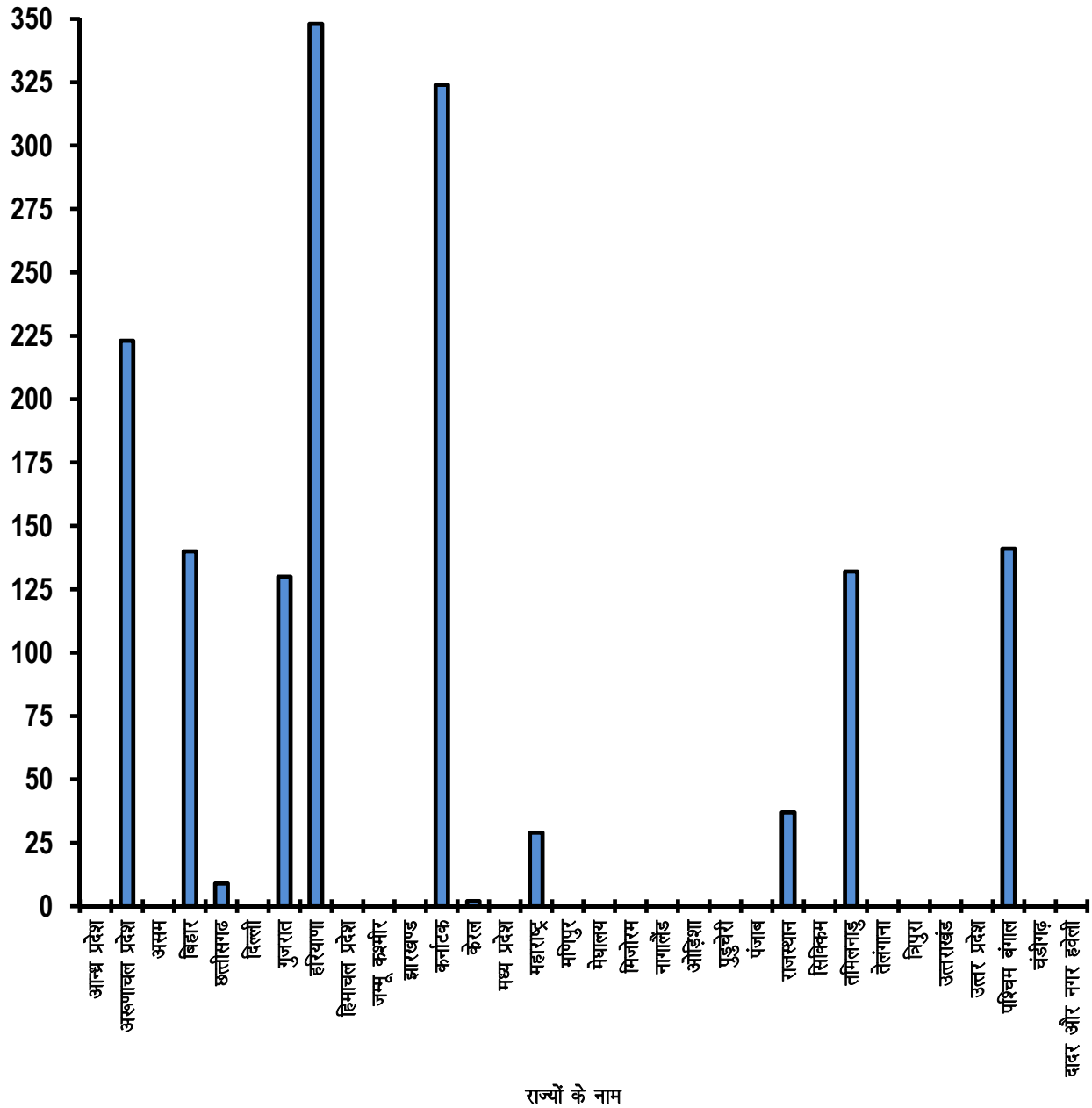
आन्ध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली

टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

शहरी क्षेत्रों में ई डब्ल्यू एस/एल आई जी आवास

निर्मित आवास

अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



तालिका - 8(क)
ग्रामीण क्षेत्र: राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना (एनआरडीडब्ल्यूपी)
आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना
(इकाई: संख्या)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लक्ष्य	अप्रैल 2016- जून 2016	उपलब्धि अप्रैल 2016- जून 2016 @	प्रतिशत उपलब्धि अप्रैल 2016- जून 2016
		2016-2017	(4)	(5)	(5)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	आन्ध्र प्रदेश	638	159	272	171
2	अरुणाचल प्रदेश	177	45	0	0
3	असम	1,090	273	13	5
4	बिहार	5,800	1,450	8	1
5	छत्तीसगढ़	3,021	756	17	2
6	गोवा	2	1	0	0
7	गुजरात	7	2	0	0
8	हरियाणा	250	63	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	1,300	325	149	46
10	जम्मू कश्मीर	375	94	0	0
11	झारखण्ड	430	108	0	0
12	कर्नाटक	10,100	2,525	263	10
13	केरल	363	91	168	185
14	मध्य प्रदेश	65	16	6	38
15	महाराष्ट्र	1,806	452	107	24
16	मणिपुर	50	13	2	15
17	मेघालय	100	25	0	0
18	मिजोरम	35	9	0	0
19	नागालैंड	38	9	0	0
20	ओड़िशा	8,500	2,125	409	19
21	पुडुचेरी	5	1	0	0
22	पंजाब	350	88	24	27
23	राजस्थान	839	209	23	11
24	सिक्किम	40	10	0	0
25	तमिलनाडु	2,918	730	109	15
26	तेलंगाना	735	183	66	36
27	त्रिपुरा	41	10	3	30
28	उत्तराखंड	489	122	103	84
29	उत्तर प्रदेश	1,055	263	0	0
30	पश्चिम बंगाल	3,400	850	71	8
31	अंडमान और निकोबार	5	1	0	0
कुल योग		44,024	11,008	1,813	16

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

आन्ध्र प्रदेश, केरल

अच्छा: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच)

उत्तराखंड

खराब: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम)

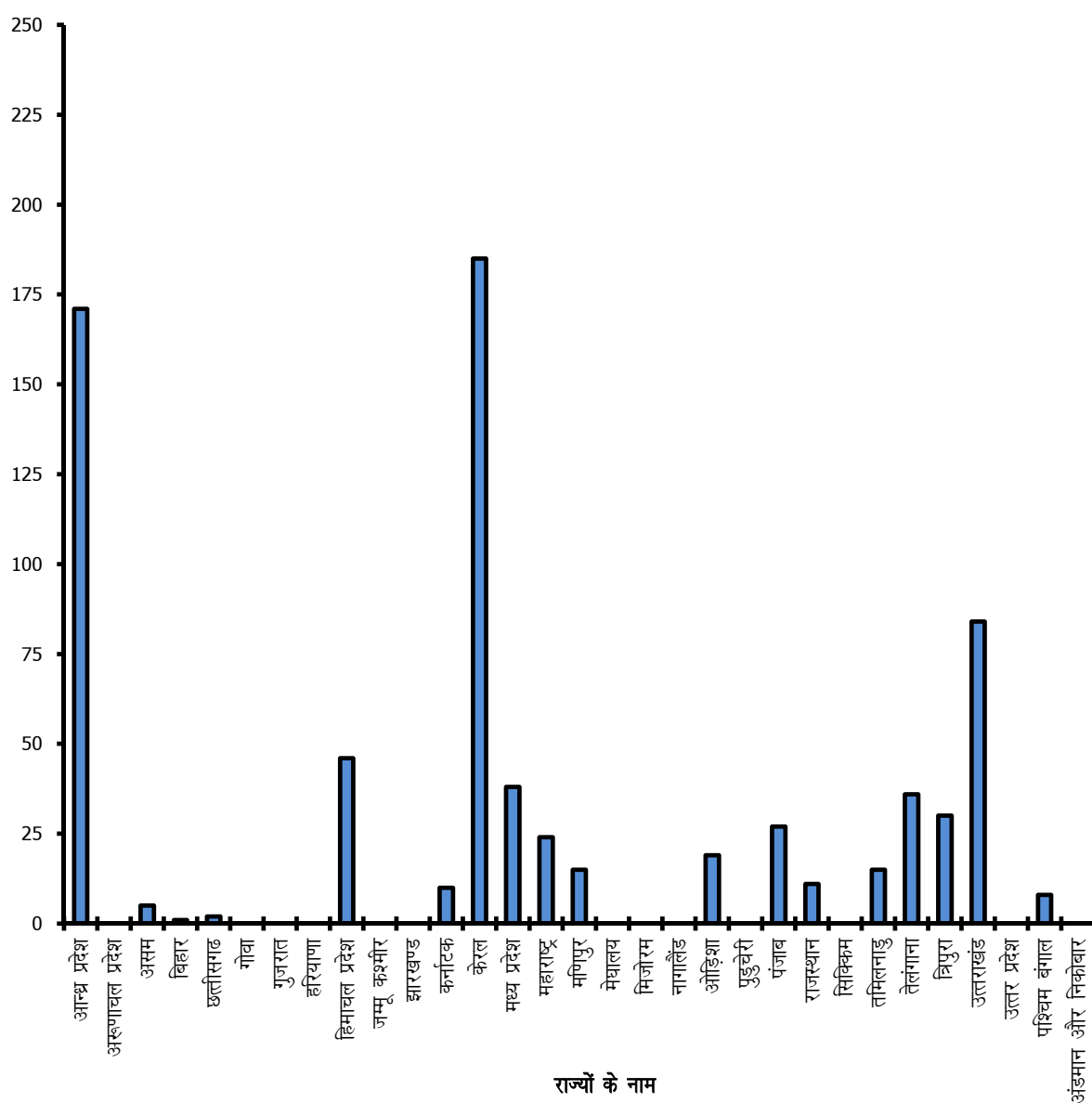
अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओड़िशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार

टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

@ आंकड़े पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से प्राप्त किए गए लिये गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्र: राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना (एनआरडीडब्ल्यूपी)

आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना
अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



तालिका - 8(ख)

ग्रामीण क्षेत्र: राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना (एनआरडीडब्ल्यूपी)

गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना

(इकाई: संख्या)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
		2016-2017	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016 @	प्रतिशत उपलब्धि अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	आन्ध्र प्रदेश	367	92	3	3
2	अरुणाचल प्रदेश	11	3	0	0
3	असम	662	166	2	1
4	बिहार	1,977	494	28	6
5	छत्तीसगढ़	1,148	287	0	0
6	गुजरात	25	6	8	133
7	हरियाणा	13	3	0	0
8	जम्मू कश्मीर	5	2	0	0
9	झारखण्ड	1,000	250	26	10
10	कर्नाटक	1,900	475	10	2
11	केरल	100	25	0	0
12	मध्य प्रदेश	273	68	80	118
13	महाराष्ट्र	149	38	2	5
14	मेघालय	10	2	0	0
15	नागालैंड	16	4	0	0
16	ओड़िशा	800	200	13	6
17	पंजाब	429	107	48	45
18	राजस्थान	1,200	300	25	8
19	तमिलनाडु	351	88	0	0
20	तेलंगाना	180	45	4	9
21	त्रिपुरा	524	131	41	31
22	उत्तराखंड	6	1	0	0
23	उत्तर प्रदेश	300	75	0	0
24	पश्चिम बंगाल	1,366	341	10	3
कुल योग		12,812	3,203	300	9

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

गुजरात, मध्य प्रदेश

खराब: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम)

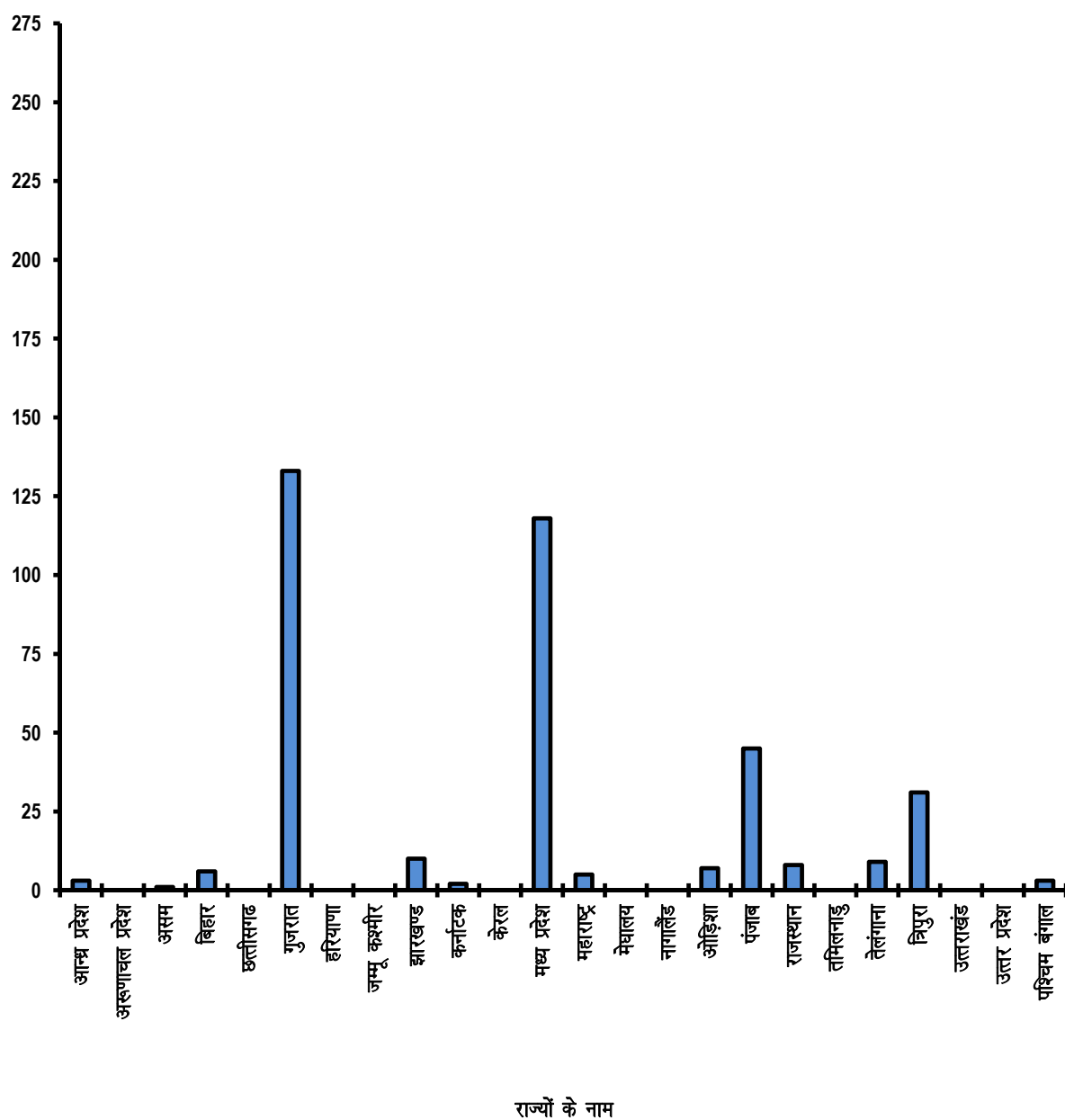
आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

@ आंकड़े पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से प्राप्त किए गए लिये गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्र: राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना (एनआरडीडब्ल्यूपी)

गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना
अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



तालिका - 9

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम
(इकाई: संख्या)

		वैयक्तिक घरों के लिए शौचालयों का निर्माण (संख्या)
क्रम संख्या	राज्य का नाम	अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)
1	आन्ध्र प्रदेश	1,80,065
2	अरुणाचल प्रदेश	83
3	असम	48,154
4	बिहार	37,849
5	छत्तीसगढ़	97,456
6	दिल्ली	0
7	गोवा	0
8	गुजरात	1,92,525
9	हरियाणा	8,812
10	हिमाचल प्रदेश	8,674
11	जम्मू कश्मीर	1,672
12	झारखण्ड	83,828
13	कर्नाटक	78,712
14	केरल	533
15	मध्य प्रदेश	4,21,447
16	महाराष्ट्र	1,12,476
17	मणिपुर	10,864
18	मेघालय	4,864
19	मिजोरम	944
20	नागालैंड	1,325
21	ओड़िशा	2,27,050
22	पुडुचेरी	322
23	पंजाब	13,222
24	राजस्थान	3,08,929
25	सिक्किम	0
26	तमिलनाडु	14,565
27	तेलंगाना	92,037
28	त्रिपुरा	2,254
29	उत्तराखंड	36,016
30	उत्तर प्रदेश	1,50,337
31	पश्चिम बंगाल	1,96,343
32	अंडमान और निकोबार	138
33	चंडीगढ़	0
34	दादर और नगर हवेली	0
35	दमन एव दीव	0
36	लक्षद्वीप	0
कुल योग		23,31,496

तालिका - 10

सांस्थानिक प्रसव
(इकाई: संख्या)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	संस्थानों में प्रसव (संख्या) अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)
1	आन्ध्र प्रदेश	1,78,830
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	0
4	बिहार	0
5	छत्तीसगढ़	1,00,599
6	दिल्ली	NR
7	गोवा	4,430
8	गुजरात	2,35,132
9	हरियाणा	65,111
10	हिमाचल प्रदेश	17,290
11	जम्मू कश्मीर	35,516
12	झारखण्ड	NR
13	कर्नाटक	2,21,664
14	केरल	1,22,359
15	मध्य प्रदेश	2,81,231
16	महाराष्ट्र	1,21,522
17	मणिपुर	6,755
18	मेघालय	10,761
19	मिजोरम	NR
20	नागालैंड	NR
21	ओड़िशा	1,50,713
22	पुडुचेरी	9,392
23	पंजाब	59,182
24	राजस्थान	3,00,472
25	सिक्किम	1,579
26	तमिलनाडु	2,21,918
27	तेलंगाना	1,39,727
28	त्रिपुरा	NR
29	उत्तराखंड	21,420
30	उत्तर प्रदेश	5,83,855
31	पश्चिम बंगाल	1,23,083
32	अंडमान और निकोबार	1,058
33	चंडीगढ़	4,056
34	दादर और नगर हवेली	1,762
35	दमन एव दीव	820
36	लक्षद्वीप	262
कुल योग		30,20,499

टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

तालिका - 11(क)

सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार

अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास निगम द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान किए गए अ.जा. परिवार ।
(इकाई: संख्या)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
		2016-2017	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	आन्ध्र प्रदेश	7,398	1,479	0	0
2	असम	2,132	426	0	0
3	बिहार	16,675	3,335	1,094	33
4	छत्तीसगढ़	2,903	581	20	3
5	दिल्ली	1,365	273	NR	0
6	गोवा	47	10	0	0
7	गुजरात	3,380	676	412	61
8	हरियाणा	4,315	863	302	35
9	हिमाचल प्रदेश	1,561	312	0	0
10	जम्मू कश्मीर	870	174	1	1
11	झारखण्ड	3,367	673	NR	0
12	कर्नाटक	8,901	1,780	0	0
13	केरल	2,879	576	7,017	1,218
14	मध्य प्रदेश	10,614	2,122	676	32
15	महाराष्ट्र	11,085	2,217	1,947	88
16	मणिपुर	121	24	0	0
17	मेघालय	8	2	0	0
18	मिजोरम	2	-	NR	-
19	ओड़िशा	6,624	1,325	1,598	121
20	पुडुचेरी	191	38	0	0
21	पंजाब	7,727	1,545	4,958	321
22	राजस्थान	11,264	2,253	978	43
23	सिक्किम	120	24	0	0
24	तमिलनाडु	13,129	2,624	0	0
25	तेलंगाना	4,096	820	487	59
26	त्रिपुरा	1,806	361	NR	0
27	उत्तराखंड	1,459	292	131	45
28	उत्तर प्रदेश	36,565	7,313	2,843	39
29	पश्चिम बंगाल	19,974	3,994	3,010	75
30	चंडीगढ़	418	84	431	513
31	दादर और नगर हवेली	2	-	0	-
32	दमन एंव दीव	2	-	0	-
कुल योग		1,81,000	36,196	25,905	72

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

केरल, ओड़िशा, पंजाब, चंडीगढ़

अच्छा: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच)

महाराष्ट्र

खराब: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम)

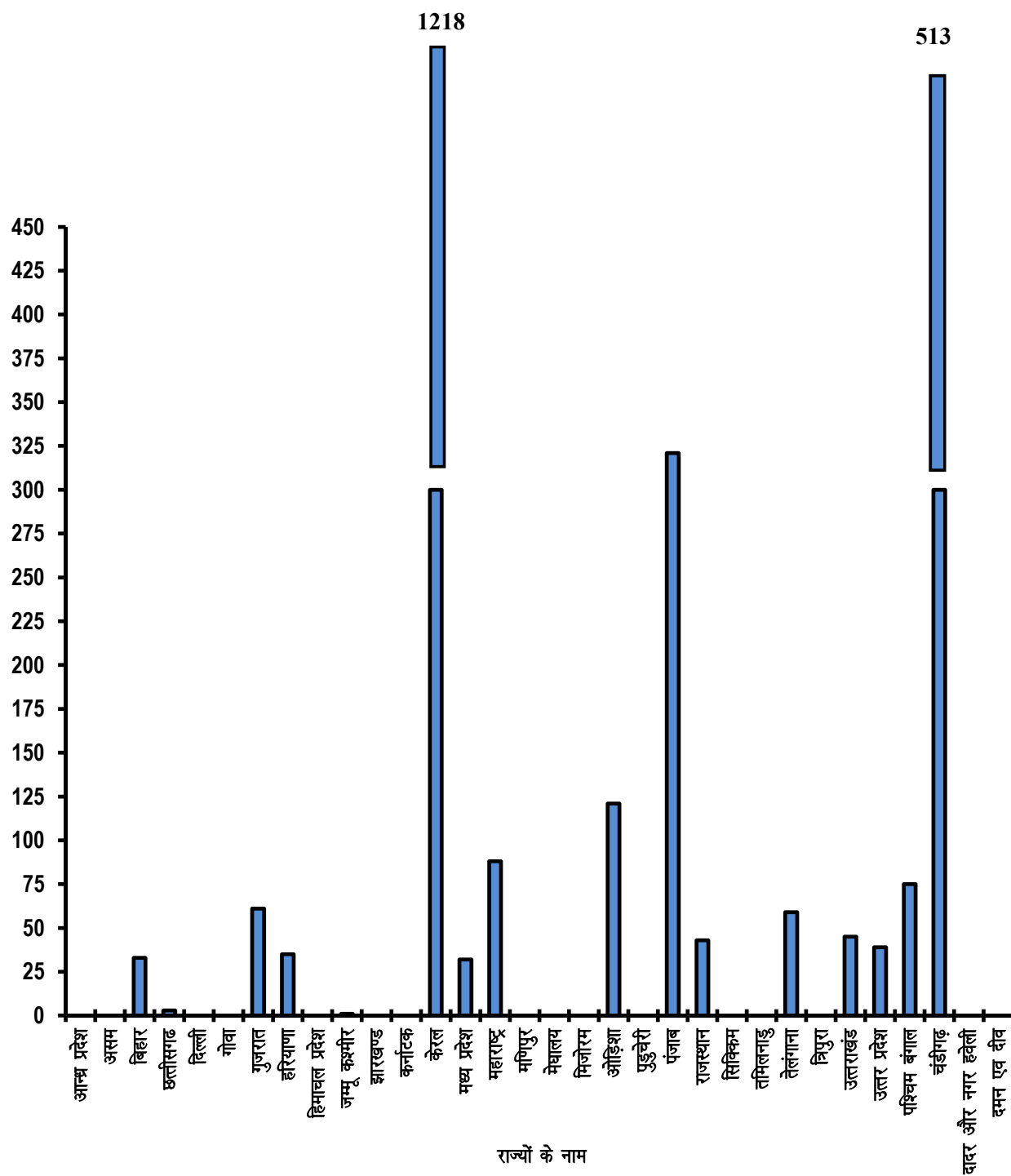
आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास निगम द्वारा

विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान किए गए अ.जा. परिवार

अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



तालिका - 11(ख)

सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार - मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत सहायता
प्रदान किए गए अ.जा. छात्र

(इकाई: संख्या)

		मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत सहायता प्रदान किए गए अ.जा. छात्र (संख्या) अप्रैल 2016- जून 2016
क्रम संख्या	राज्य का नाम	(3)
(1)	(2)	
1	आन्ध्र प्रदेश	0
2	असम	0
3	बिहार	0
4	छत्तीसगढ़	0
5	दिल्ली	NR
6	गोवा	0
7	गुजरात	0
8	हरियाणा	0
9	हिमाचल प्रदेश	0
10	जम्मू कश्मीर	0
11	झारखण्ड	NR
12	कर्नाटक	0
13	केरल	23,731
14	मध्य प्रदेश	0
15	महाराष्ट्र	1,15,945
16	मणिपुर	0
17	मेघालय	0
18	ओड़िशा	0
19	पुडुचेरी	10,239
20	पंजाब	0
21	राजस्थान	25,425
22	सिक्किम	0
23	तमिलनाडु	3,92,568
24	तेलंगाना	1,78,509
25	त्रिपुरा	NR
26	उत्तराखंड	0
27	उत्तर प्रदेश	11,198
28	पश्चिम बंगाल	31,702
29	चंडीगढ़	0
30	दमन एंव दीव	0
कुल योग		7,89,317

टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

तालिका - 12

एकीकृत बाल विकास योजना का वैश्वीकरण
चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी)
(इकाई: संख्या)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
		2016-2017	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	आन्ध्र प्रदेश	257	257	257	100
2	अरुणाचल प्रदेश	98	98	98	100
3	असम	231	231	231	100
4	बिहार	544	544	544	100
5	छत्तीसगढ़	220	220	220	100
6	दिल्ली	95	95	95 #	100
7	गोवा	11	11	12	109
8	गुजरात	336	336	336	100
9	हरियाणा	148	148	148	100
10	हिमाचल प्रदेश	78	78	78	100
11	जम्मू कश्मीर	141	141	141	100
12	झारखण्ड	224	224	204 #	91
13	कर्नाटक	204	204	204	100
14	केरल	258	258	258	100
15	मध्य प्रदेश	453	453	453	100
16	महाराष्ट्र	553	553	553	100
17	मणिपुर	43	43	43	100
18	मेघालय	41	41	41	100
19	मिजोरम	27	27	27 #	100
20	नागालैंड	60	60	59 #	98
21	ओड़िशा	338	338	338	100
22	पुडुचेरी	5	5	5	100
23	पंजाब	155	155	155	100
24	राजस्थान	304	304	304	100
25	सिक्किम	13	13	13	100
26	तमिलनाडु	434	434	434	100
27	तेलंगाना	149	149	149	100
28	त्रिपुरा	56	56	56 #	100
29	उत्तराखंड	105	105	105	100
30	उत्तर प्रदेश	897	897	813	91
31	पश्चिम बंगाल	576	576	552	96
32	अंडमान और निकोबार	5	5	5	100
33	चंडीगढ़	3	3	3	100
34	दादर और नगर हवेली	2	2	2	100
35	दमन एव दीव	2	2	2	100
36	लक्षद्वीप	9	9	9	100
कुल योग		7,075	7,075	6,947	98

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

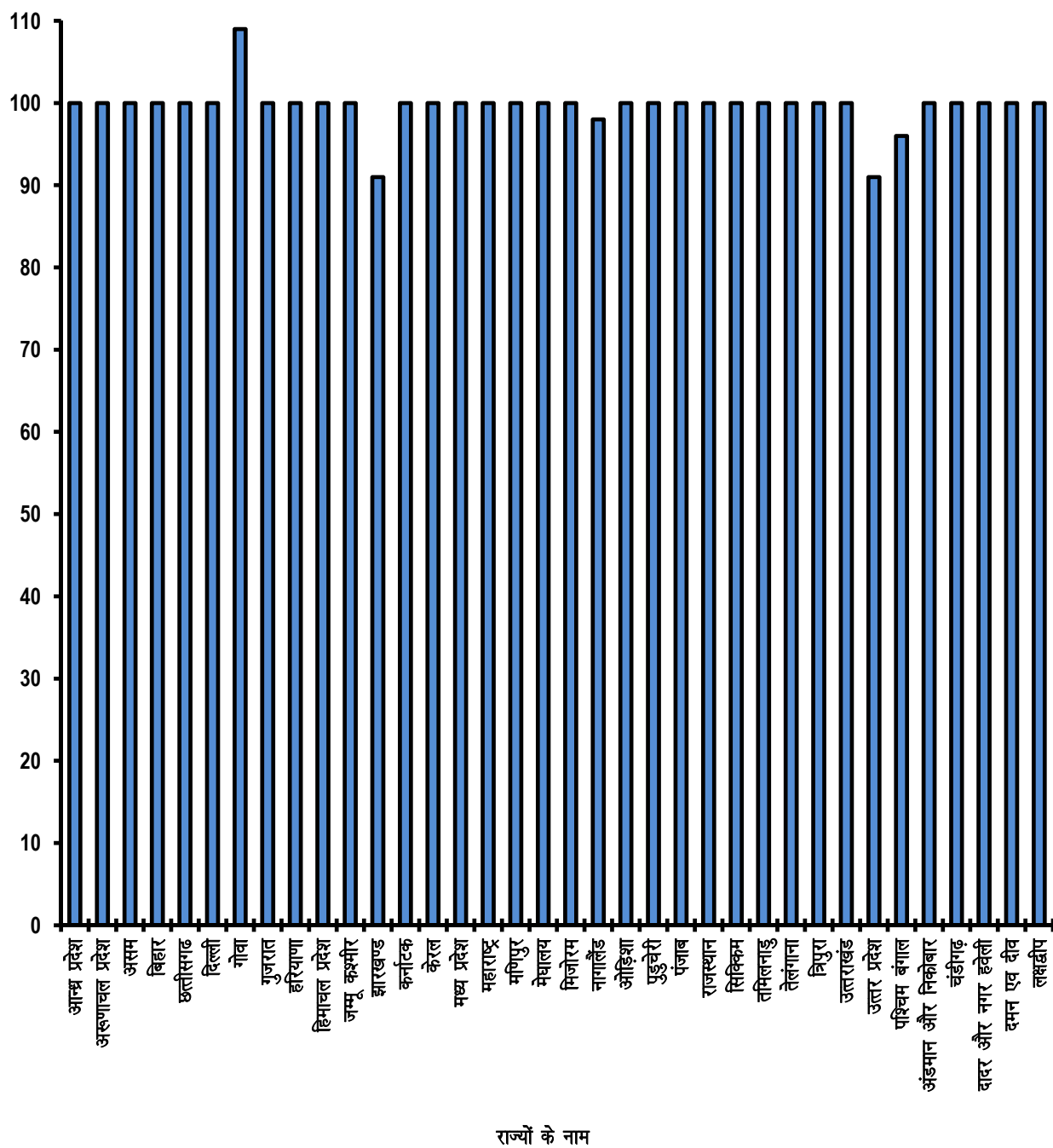
आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओड़िशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन एव दीव, लक्षद्वीप

टिप्पणी: # पूर्व उद्धृत आंकड़ें दोहराए गए हैं।

एकीकृत बाल विकास योजना का सर्वव्यापीकरण

चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी)

अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



तालिका - 13

क्रियाशील आंगनवाड़ियां
क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी)
(इकाई: संख्या)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
		2016-2017	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	आन्ध्र प्रदेश	55,607	55,607	55,602	100
2	अरुणाचल प्रदेश	6,225	6,225	6,225	100
3	असम	62,153	62,153	62,153	100
4	बिहार	1,15,009	1,15,009	91,677	80
5	छत्तीसगढ़	52,474	52,474	49,978	95
6	दिल्ली	11,150	11,150	10897 #	98
7	गोवा	1,262	1,262	1,254	99
8	गुजरात	53,029	53,029	52,578	99
9	हरियाणा	25,962	25,962	25,962	100
10	हिमाचल प्रदेश	18,925	18,925	18,925	100
11	जम्मू कश्मीर	31,938	31,938	29,599	93
12	झारखण्ड	38,432	38,432	38365 #	100
13	कर्नाटक	65,911	65,911	64,518	98
14	केरल	33,318	33,318	33,115	99
15	मध्य प्रदेश	97,135	97,135	91,729	94
16	महाराष्ट्र	1,10,486	1,10,486	97,260	88
17	मणिपुर	11,510	11,510	11,510	100
18	मेघालय	5,896	5,896	4,630	79
19	मिजोरम	2,244	2,244	1980 #	88
20	नागालैंड	3,980	3,980	3455 #	87
21	ओड़िशा	74,154	74,154	71,288	96
22	पुडुचेरी	855	855	788	92
23	पंजाब	27,314	27,314	26,656	98
24	राजस्थान	62,010	62,010	60,286	97
25	सिक्किम	1,308	1,308	1,287	98
26	तमिलनाडु	54,439	54,439	54,439	100
27	तेलंगाना	35,700	35,700	35,634	100
28	त्रिपुरा	10,145	10,145	9911 #	98
29	उत्तराखंड	20,067	20,067	19,413	97
30	उत्तर प्रदेश	1,90,145	1,90,145	1,72,221	91
31	पश्चिम बंगाल	1,19,481	1,19,481	1,26,815	106
32	अंडमान और निकोबार	720	720	720	100
33	चंडीगढ़	500	500	500	100
34	दादर और नगर हवेली	302	302	233	77
35	दमन एंव दीव	107	107	102	95
36	लक्षद्वीप	107	107	107	100
कुल योग		14,00,000	14,00,000	13,31,812	95

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओड़िशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंव दीव, लक्षद्वीप

अच्छा: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच)

बिहार, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड

खराब: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम)

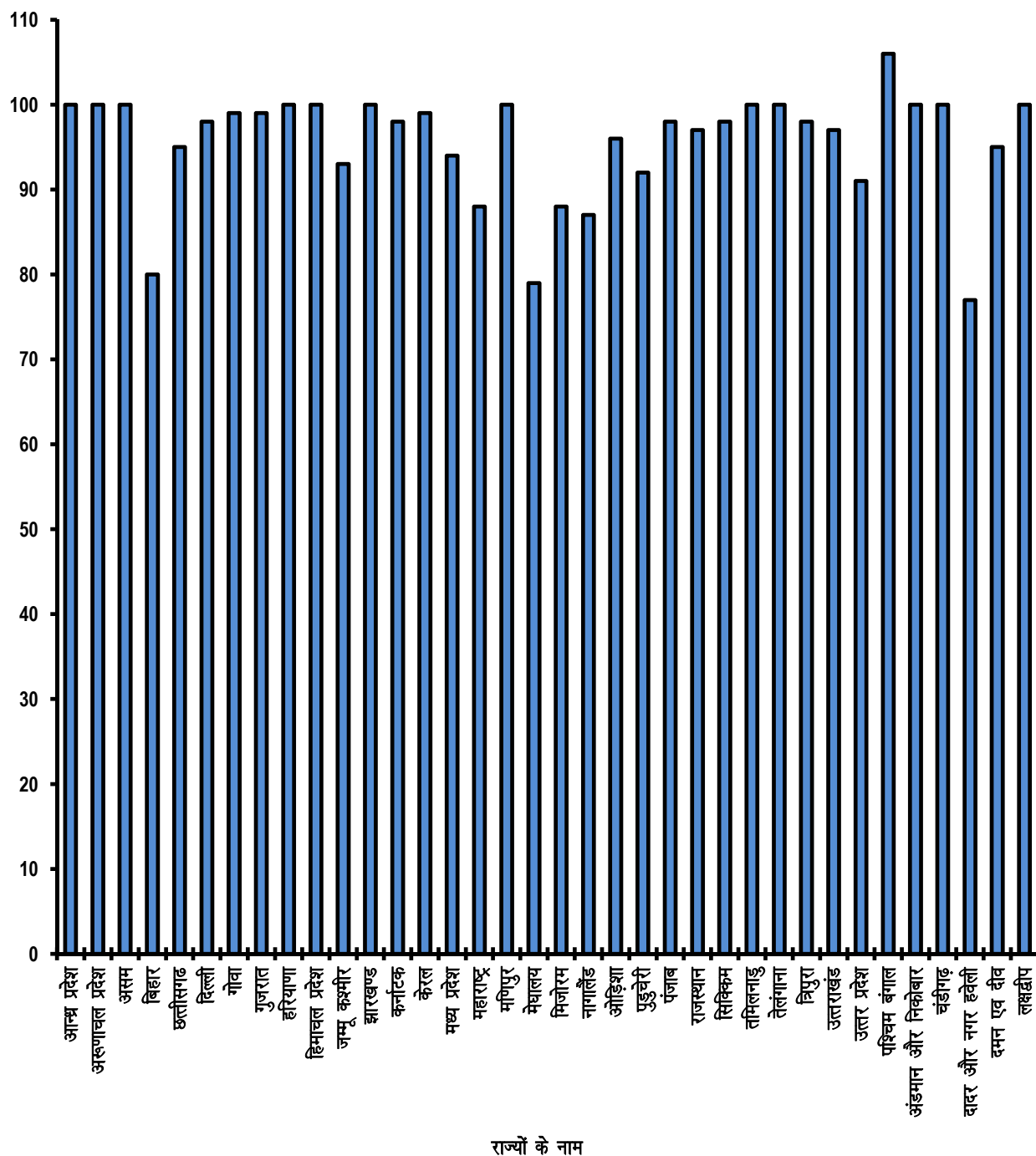
मेघालय, दादर और नगर हवेली

टिप्पणी: # पूर्व उद्धृत आंकड़ें दोहराए गए हैं।

क्रियाशील आंगनवाड़ियां

(संचयी)

अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



तालिका - 14

सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की सं०

(इकाई: संख्या)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त निर्धन परिवार (संख्या) अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)
1	आन्ध्र प्रदेश	53,490
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	250
4	बिहार	80
5	छत्तीसगढ़	0
6	दिल्ली	NR
7	गोवा	0
8	गुजरात	30,630
9	हरियाणा	0
10	हिमाचल प्रदेश	0
11	जम्मू कश्मीर	0
12	झारखण्ड	NR
13	कर्नाटक	750
14	केरल	120
15	मध्य प्रदेश	100
16	महाराष्ट्र	3,368
17	मणिपुर	0
18	मेघालय	0
19	मिजोरम	NR
20	नागालैंड	NR
21	ओड़िशा	0
22	पुडुचेरी	0
23	पंजाब	172
24	राजस्थान	1,716
25	सिक्किम	1,376
26	तमिलनाडु	100
27	तेलंगाना	1,409
28	त्रिपुरा	NR
29	उत्तराखंड	0
30	उत्तर प्रदेश	296
31	पश्चिम बंगाल	3,26,911
32	अंडमान और निकोबार	0
33	चंडीगढ़	87
34	दादर और नगर हवेली	0
35	दमन एव दीव	0
कुल योग		4,20,855

टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

तालिका - 15(क)
वन रोपण (सार्वजनिक एवं वन भूमि)
रोपणाधीन शामिल क्षेत्र
(इकाई: हेक्टेयर)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
		2016-2017	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	आन्ध्र प्रदेश	2,08,591	52,148	10,411	20
2	अरुणाचल प्रदेश	210	53	0	0
3	असम	40	10	0	0
4	बिहार	30,330	7,583	2,062	27
5	छत्तीसगढ़	60,581	15,146	0	0
6	दिल्ली	848	212	NR	0
7	गोवा	154	39	0	0
8	गुजरात	1,39,283	34,821	2,905	8
9	हरियाणा	35,798	8,950	7,409	83
10	हिमाचल प्रदेश	20,728	5,182	0	0
11	जम्मू कश्मीर	8,454	2,114	0	0
12	झारखण्ड	3,450	862	NR	0
13	कर्नाटक	41,000	10,250	29,967	292
14	केरल	3,700	925	1,379	149
15	मध्य प्रदेश	7,499	1,874	0	0
16	महाराष्ट्र	91,413	22,854	4,958	22
17	मणिपुर	11,547	2,887	0	0
18	मेघालय	1,991	497	0	0
19	मिजोरम	4,070	1,017	NR	0
20	नागालैंड	1,050	262	NR	0
21	ओड़िशा	1,07,287	26,822	0	0
22	पुडुचेरी	41	10	108	1,080
23	पंजाब	2,769	693	0	0
24	राजस्थान	57,103	14,276	41,419	290
25	सिक्किम	4,095	1,023	0	0
26	तमिलनाडु	70,235	17,559	0	0
27	तेलंगाना	80,446	20,111	9,514	47
28	त्रिपुरा	16,280	4,070	NR	0
29	उत्तराखंड	17,268	4,317	3,101	72
30	उत्तर प्रदेश	57,907	14,477	1,358	9
31	पश्चिम बंगाल	3,910	978	1,005	103
32	अंडमान और निकोबार	1,116	120	71	59
33	चंडीगढ़	126	32	0	0
34	दादर और नगर हवेली	200	50	0	0
35	दमन एंव दीव	10	3	0	0
36	लक्षद्वीप	25	6	0	0
कुल योग		10,89,555	2,72,233	1,15,667	42

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल

अच्छा: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच)

हरियाणा

खराब: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम)

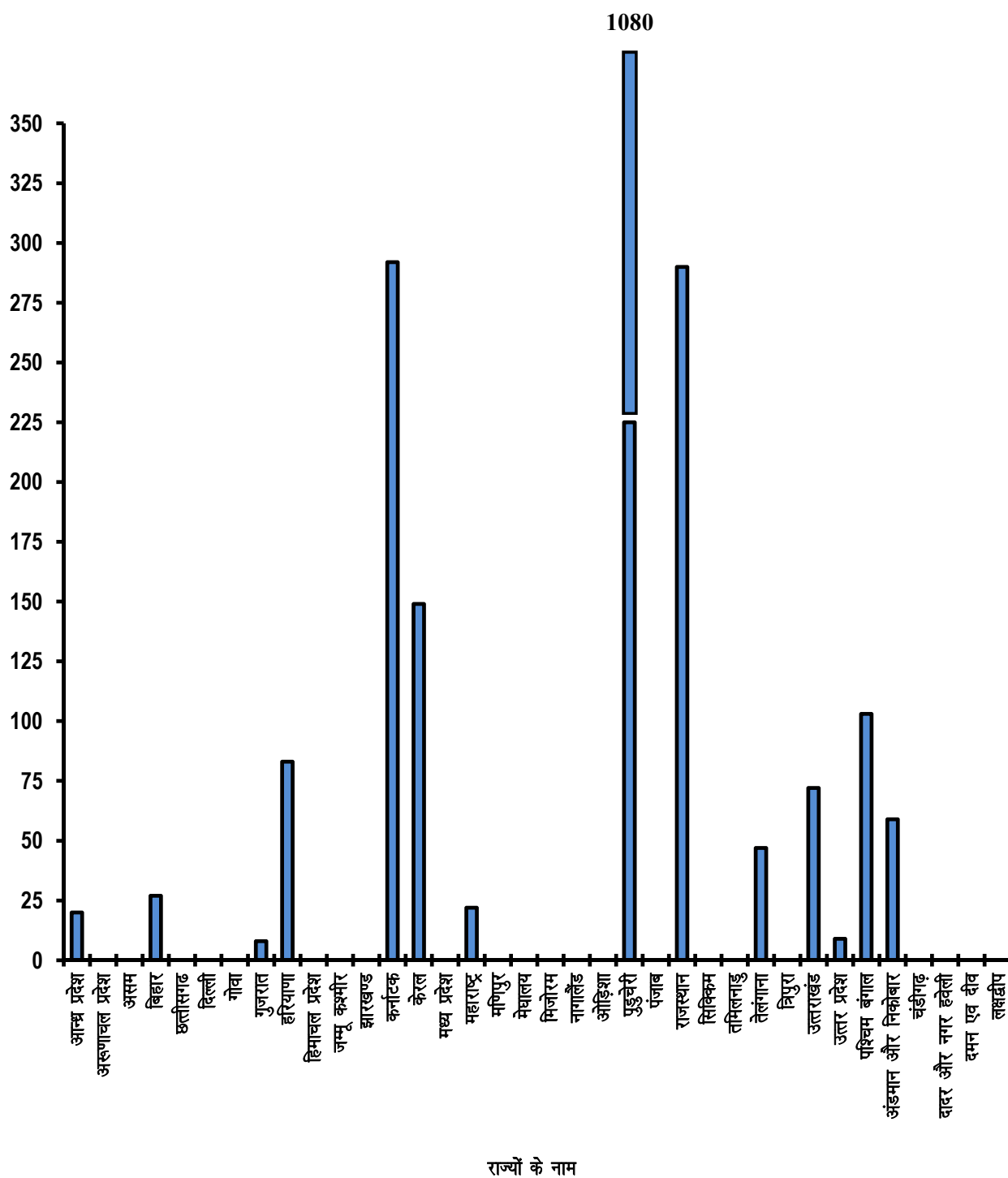
आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओड़िशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन एंव दीव, लक्षद्वीप

टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

वन रोपण (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

रोपणाधीन शामिल क्षेत्र

अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



तालिका - 15(ख)

वन रोपण (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

रोपित पौध
(इकाई: संख्या)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
		2016-2017	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	आन्ध्र प्रदेश	13,55,84,000	3,38,96,000	70,71,000	21
2	अरुणाचल प्रदेश	1,37,000	34,250	0	0
3	असम	26,000	6,500	0	0
4	बिहार	1,97,15,000	49,28,750	13,40,000	27
5	छत्तीसगढ़	3,93,78,000	98,44,500	0	0
6	दिल्ली	5,51,000	1,37,750	NR	0
7	गोवा	1,00,000	25,000	0	0
8	गुजरात	9,05,34,000	2,26,33,500	18,85,000	8
9	हरियाणा	2,32,69,000	58,17,250	65,00,000	112
10	हिमाचल प्रदेश	1,34,73,000	33,68,250	0	0
11	जम्मू कश्मीर	54,95,000	13,73,750	0	0
12	झारखण्ड	22,43,000	5,60,750	NR	0
13	कर्नाटक	2,66,50,000	66,62,500	2,17,26,000	326
14	केरल	24,05,000	6,01,250	24,57,142	409
15	मध्य प्रदेश	48,74,000	12,18,500	0	0
16	महाराष्ट्र	5,94,18,000	1,48,54,500	61,09,000	41
17	मणिपुर	75,06,000	18,76,500	0	0
18	मेघालय	12,94,000	3,23,500	0	0
19	मिजोरम	26,46,000	6,61,500	NR	0
20	नागालैंड	6,83,000	1,70,750	NR	0
21	ओड़िशा	6,97,37,000	1,74,34,250	0	0
22	पुडुचेरी	27,000	6,750	41,841	620
23	पंजाब	18,00,000	4,50,000	0	0
24	राजस्थान	3,71,17,000	92,79,250	2,58,60,600	279
25	सिक्किम	26,62,000	6,65,500	0	0
26	तमिलनाडु	4,56,53,000	1,14,13,250	0	0
27	तेलंगाना	5,22,90,000	1,30,72,500	3,61,74,000	277
28	त्रिपुरा	1,05,82,000	26,45,500	NR	0
29	उत्तराखंड	1,12,24,000	28,06,000	34,03,000	121
30	उत्तर प्रदेश	3,76,40,000	94,10,000	85,451	1
31	पश्चिम बंगाल	25,42,000	6,35,500	13,04,500	205
32	अंडमान और निकोबार	7,25,000	77,600	47,414	61
33	चंडीगढ़	82,000	20,500	0	0
34	दादर और नगर हवेली	1,30,000	32,500	1,44,000	443
35	दमन एव दीव	7,000	1,750	0	0
36	लक्षद्वीप	16,000	4,000	0	0
कुल योग		70,82,15,000	17,69,50,100	11,41,48,948	65

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दादर और नगर हवेली

खराब: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम)

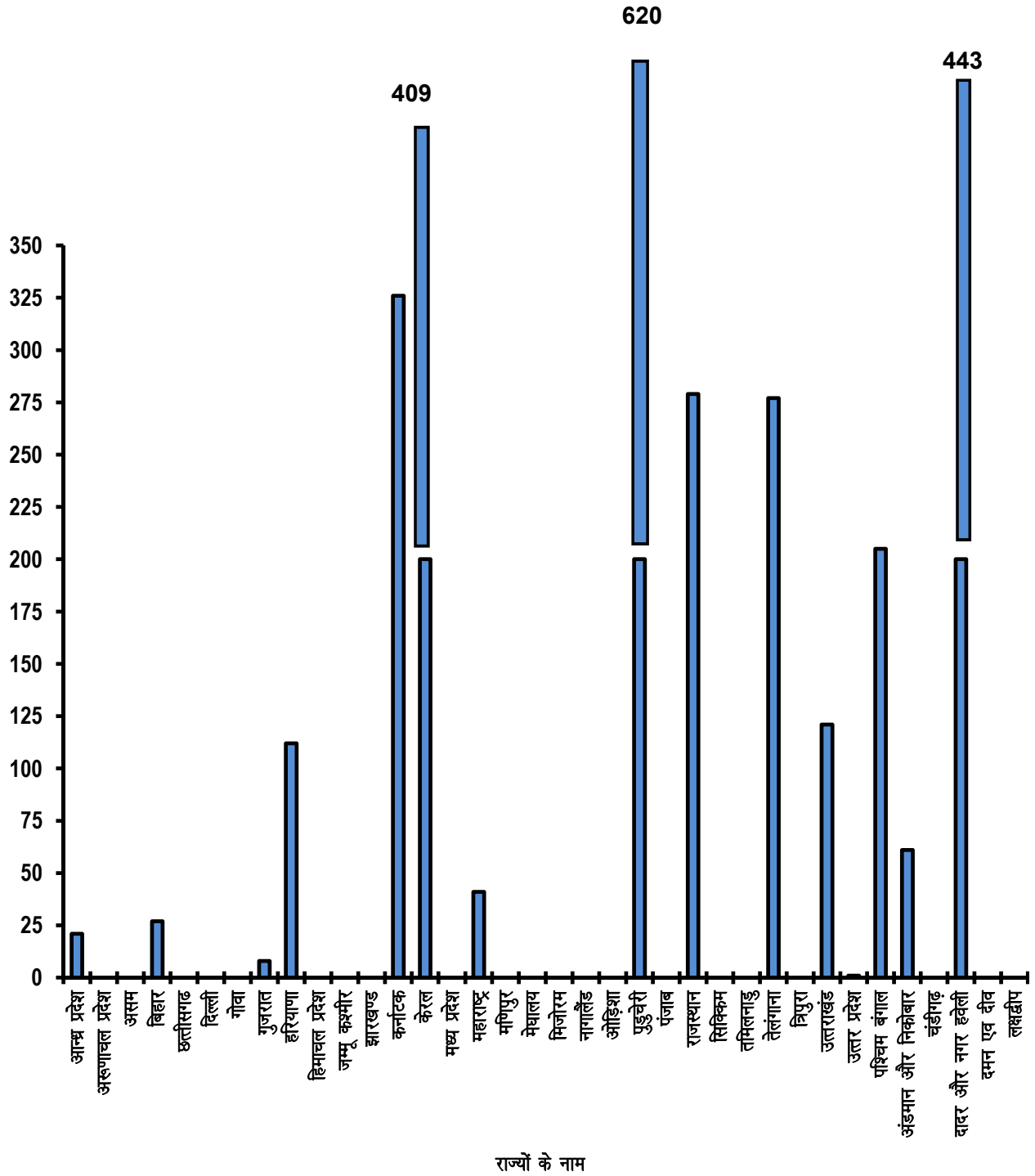
आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओड़िशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दमन एव दीव, लक्षद्वीप

टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

वन रोपण (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

रोपित पौध

अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



तालिका - 16

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़को का निर्माण
निर्मित सड़क की लंबाई
(इकाई: किलोमीटर)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
		2016-2017	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016 @	अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	आन्ध्र प्रदेश	1,350	338	218	64
2	अरुणाचल प्रदेश	650	162	67	41
3	असम	750	188	34	18
4	बिहार	6,540	1,635	2,031	124
5	छत्तीसगढ़	2,750	687	219	32
6	गुजरात	400	100	124	124
7	हरियाणा	52	13	13	100
8	हिमाचल प्रदेश	500	125	181	145
9	जम्मू कश्मीर	1,050	263	15	6
10	झारखण्ड	3,000	750	563	75
11	कर्नाटक	800	200	244	122
12	केरल	430	107	77	72
13	मध्य प्रदेश	6,200	1,550	321	21
14	महाराष्ट्र	1,900	475	259	55
15	मणिपुर	790	198	454	229
16	मेघालय	400	100	50	50
17	मिजोरम	200	50	43	86
18	नागालैंड	150	37	32	86
19	ओड़िशा	6,200	1,550	1,316	85
20	पंजाब	450	113	61	54
21	राजस्थान	3,000	750	262	35
22	सिक्किम	150	37	62	168
23	तमिलनाडु	800	200	188	94
24	तेलंगाना	900	225	152	68
25	त्रिपुरा	400	100	274	274
26	उत्तराखंड	1,000	250	366	146
27	उत्तर प्रदेश	3,900	975	900	92
28	पश्चिम बंगाल	4,100	1,025	229	22
कुल योग		48,812	12,203	8,755	72

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश

अच्छा: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच)

मिजोरम, नागालैंड, ओड़िशा

खराब: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम)

आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल

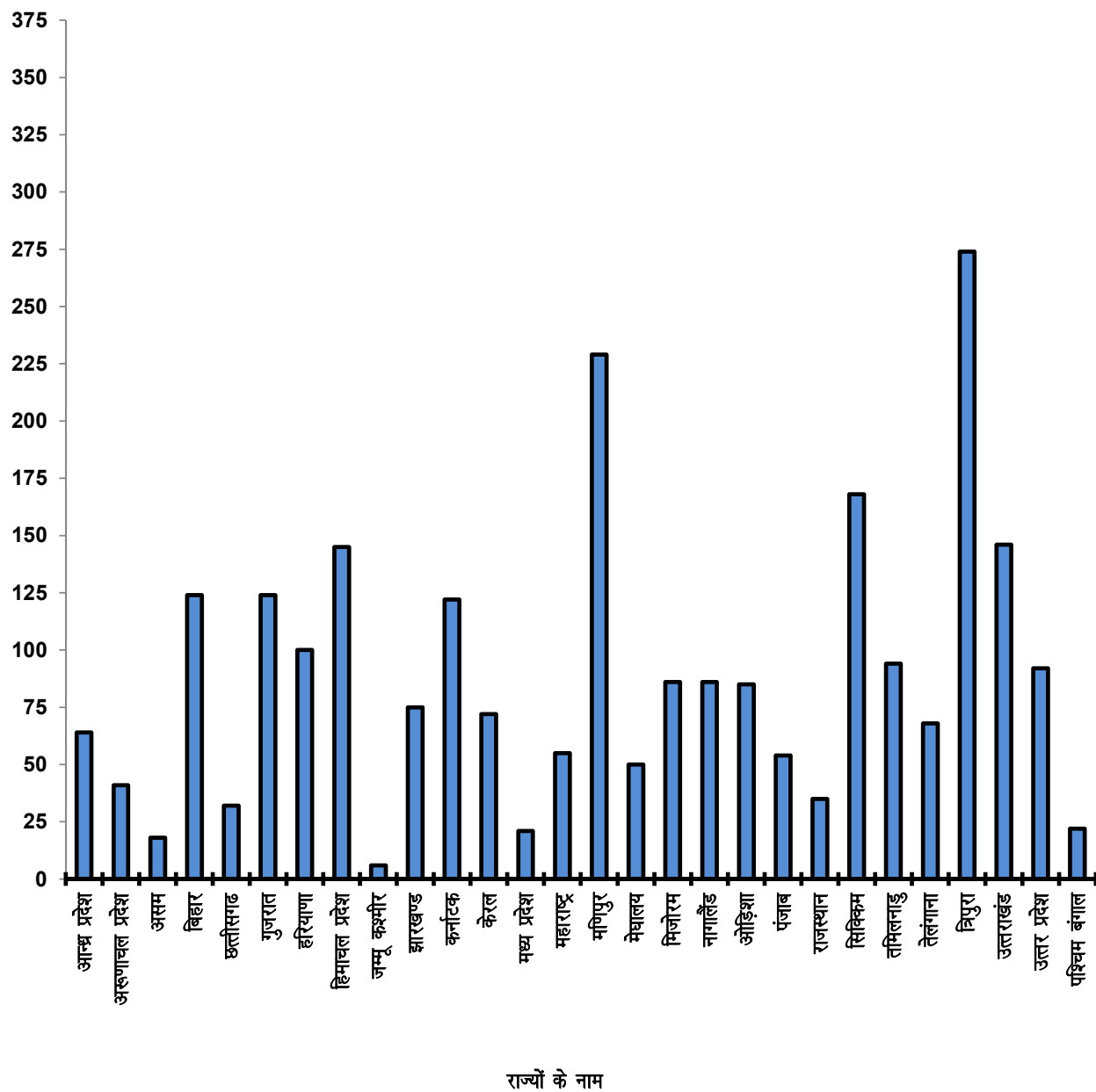
टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

@ आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त किए गए लिये गए हैं।

ग्रामीण सड़कें-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

निर्मित सड़क की लंबाई

अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



तालिका - 17

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना - दी.उ.ग्रा.यो.

विद्युतीकृत गांव

(इकाई: संख्या)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	प्रतिशत
		2016-2017	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016 @	अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	अरुणाचल प्रदेश	1,039	260	127	49
2	असम	1,377	344	502	146
3	बिहार	735	184	116	63
4	छत्तीसगढ़	500	125	40	32
5	हिमाचल प्रदेश	34	9	8	89
6	जम्मू कश्मीर	79	20	0	0
7	झारखण्ड	1,314	329	240	73
8	कर्नाटक	39	10	2	20
9	केरल	-	-	0	-
10	मध्य प्रदेश	191	48	78	162
11	महाराष्ट्र	-	-	0	-
12	मणिपुर	149	37	13	35
13	मेघालय	674	169	143	85
14	मिजोरम	42	11	0	0
15	नागालैंड	82	21	0	0
16	ओड़िशा	1,586	394	105	27
17	राजस्थान	246	62	79	127
18	तमिलनाडु	-	-	0	-
19	त्रिपुरा	17	4	0	0
20	उत्तराखंड	76	19	0	0
21	उत्तर प्रदेश	166	42	51	121
22	पश्चिम बंगाल	14	4	0	0
कुल योग		8,360	2,092	1,504	72

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश

अच्छा: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच)

हिमाचल प्रदेश, मेघालय

खराब: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम)

अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओड़िशा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल

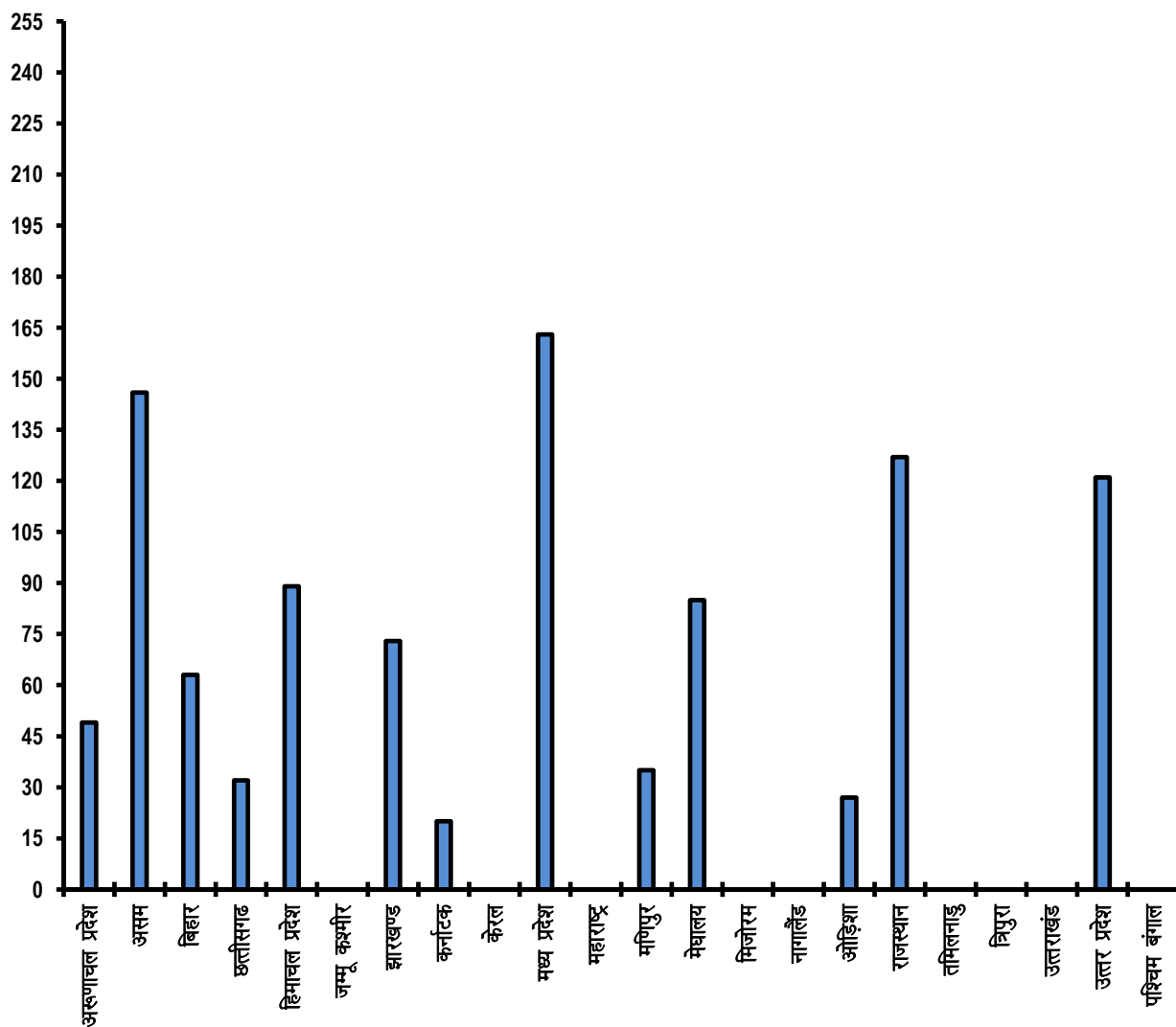
टिप्पणी: NR: सूचना नहीं दी।

@ आंकड़े ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्राप्त किए गए लिये गए हैं।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

विद्युतीकृत गांव

अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



राज्यों के नाम

तालिका - 18

पम्पसेटों को बिजली प्रदान करना

पम्पसेटों को बिजली

(इकाई: संख्या)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लक्ष्य +		उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
		2016-2017	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016	अप्रैल 2016- जून 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	आन्ध्र प्रदेश	24,852	6,213	15,238	245
2	बिहार	2,764	691	0	0
3	छत्तीसगढ़	21,000	3,000	3,766	126
4	गोवा	200	60	49	82
5	गुजरात	56,000	13,998	17,652	126
6	हरियाणा	8,800	2,199	2,243	102
7	हिमाचल प्रदेश	1,014	253	419	166
8	झारखण्ड	22,000	5,500	NR	0
9	कर्नाटक	38,602	9,649	11,542	120
10	केरल	12,000	3,000	2,835	94
11	मध्य प्रदेश	17,237	4,309	12,632	293
12	ओड़िशा	1,190	297	3,296	1,110
13	पुडुचेरी	25	6	4	67
14	पंजाब	1,50,000	37,500	24,396	65
15	राजस्थान	30,000	7,500	6,924	92
16	तमिलनाडु	10,000	1,000	1,151	115
17	तेलंगाना	25,148	6,285	14,917	237
18	उत्तराखंड	700	174	98	56
19	उत्तर प्रदेश	22,058	5,514	3,366	61
20	पश्चिम बंगाल	422	105	1,186	1,130
21	दादर और नगर हवेली	20	3	0	0
22	दमन एव दीव	25	6	36	600
कुल योग		4,44,057	1,07,262	1,21,750	114

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओड़िशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, दमन एव दीव

अच्छा: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच)

गोवा

खराब: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम)

बिहार, झारखण्ड, पुडुचेरी, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दादर और नगर हवेली

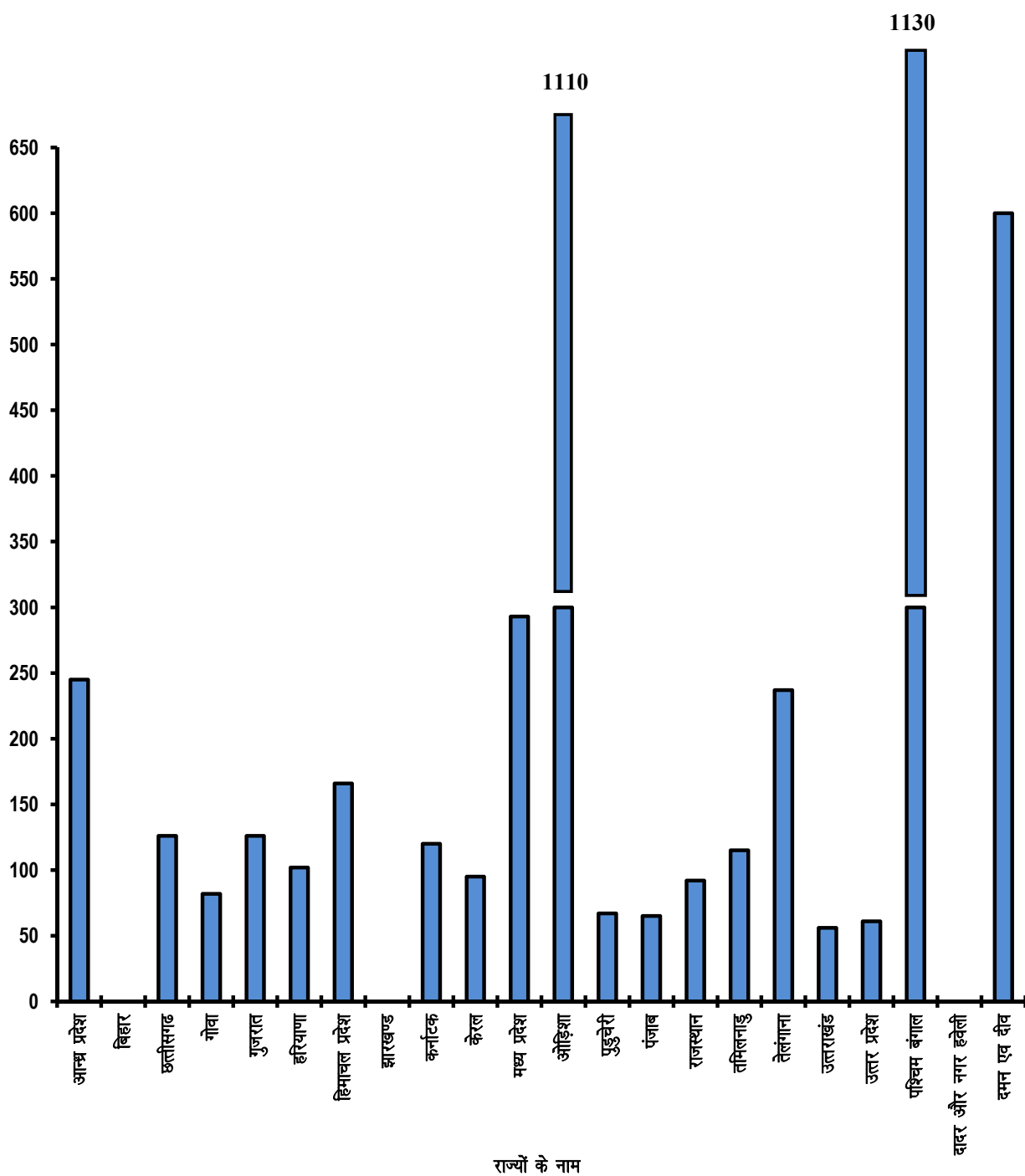
NR: सूचना नहीं दी।

+ केवल आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु ने लक्ष्य की जानकारी प्रदान की है। अन्य सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों के लिए पिछले वर्ष के लक्ष्य दोहराए गये हैं।

पम्पसेटों का बिजली प्रदान करना

पम्पसेटों का विद्युतीकरण

अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



तालिका - 19

बिजली की आपूर्ति

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मांगी गई बिजली (मिलियन यूनिट) अप्रैल 2016- जून 2016	प्रदान की गई बिजली (मिलियन यूनिट) अप्रैल 2016- जून 2016	पाई गई कमी (मिलियन यूनिट) अप्रैल 2016- जून 2016	विद्युत आपूर्ति का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आन्ध्र प्रदेश	13,113	13,078	35	100
2	अरुणाचल प्रदेश	165	160	5	97
3	असम	2,221	2,092	129	94
4	बिहार	6,851	6,708	143	98
5	छत्तीसगढ़	6,173	6,143	30	100
6	दिल्ली	9,413	9,397	16	100
7	गोवा	1,271	1,269	2	100
8	गुजरात	28,292	28,292	0	100
9	हरियाणा	12,611	12,611	0	100
10	हिमाचल प्रदेश	2,169	2,156	13	99
11	जम्मू कश्मीर	4,403	3,600	803	82
12	झारखण्ड	2,042	2,033	9	100
13	कर्नाटक	16,197	15,969	228	99
14	केरल	6,319	6,300	19	100
15	मध्य प्रदेश	15,571	15,570	1	100
16	महाराष्ट्र	36,650	36,613	37	100
17	मणिपुर	171	163	8	95
18	मेघालय	392	392	0	100
19	मिजोरम	119	116	3	97
20	नागालैंड	168	164	4	98
21	ओड़िशा	7,219	7,217	2	100
22	पुडुचेरी	680	679	1	100
23	पंजाब	14,112	14,112	0	100
24	राजस्थान	17,184	17,161	23	100
25	सिक्किम	116	116	0	100
26	तमिलनाडु	27,484	27,476	8	100
27	तेलंगाना	11,957	11,952	5	100
28	त्रिपुरा	372	361	11	97
29	उत्तराखंड	3,423	3,398	25	99
30	उत्तर प्रदेश	28,233	27,334	899	97
31	पश्चिम बंगाल	12,822	12,762	60	100
32	अंडमान और निकोबार	60	45	15	75
33	चंडीगढ़	489	489	0	100
34	दादर और नगर हवेली	1,524	1,524	0	100
35	दमन एव दीव	605	605	0	100
36	लक्षद्वीप	12	12	0	100
कुल योग		2,90,603	2,88,069	2,534	99

बहुत अच्छा: (लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक)

आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओड़िशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन एव दीव, लक्षद्वीप

अच्छा: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच)

जम्मू कश्मीर

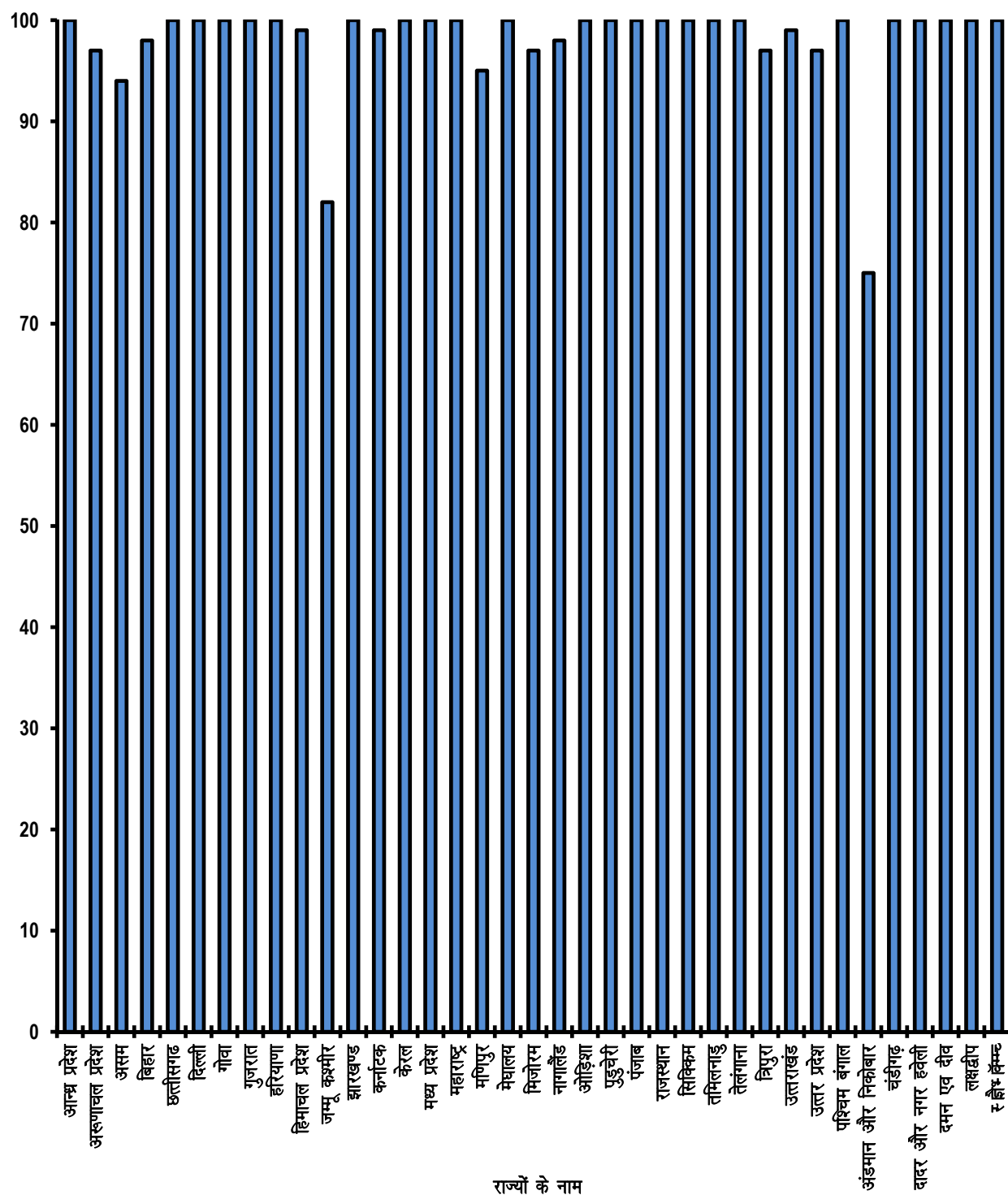
खराब: (लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम)

अंडमान और निकोबार

बिजली की आपूर्ति

प्रदान की गई बिजली

अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि



अनुबंध

बीस सूत्री कार्यक्रम-2006

बीस सूत्रों की सूची

1. गरीबी हटाओ (Poverty Eradication)
2. जनशक्ति (Power to People)
3. किसान मित्र (Support to Farmers)
4. श्रमिक कल्याण (Labour Welfare)
5. खाद्य सुरक्षा (Food Security)
6. सबके लिए आवास (Housing for All)
7. शुद्ध पेयजल (Clean Drinking Water)
8. जन-जन का स्वास्थ्य (Health for All)
9. सबके लिए शिक्षा (Education for All)
10. अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण
(Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Minorities and OBCs)
11. महिला कल्याण (Women Welfare)
12. बाल कल्याण (Child Welfare)
13. युवा विकास (Youth Development)
14. बस्ती सुधार (Improvement of Slums)
15. पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि
(Environment Protection and Afforestation)
16. सामाजिक सुरक्षा (Social Security)
17. ग्रामीण सड़क (Rural Roads)
18. ग्रामीण ऊर्जा (Energization of Rural Area)
19. पिछड़ा क्षेत्र विकास (Development of Backward Areas)
20. ई-शासन (IT enabled e-Governance)

बीसूका-2006 के अंतर्गत प्रबोधित की जाने वाली 65 मदों की सूची

सूत्र सं.	मद सं.	सूत्रों/मदों का नाम
I.		गरीबी हटाओ
		ग्रामीण क्षेत्र
	1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन रोजगार पैदा करना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.)
	2.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)
	3.	पंचायतों की भागीदारी में ग्रामीण व्यापार केंद्र
	4.	स्व सहायता ग्रुप
		शहरी क्षेत्र
	5.	स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना
II.		जनशक्ति
	6.	स्थानीय स्वायत्त सरकार (पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकाय) -- प्रचार्यों के अंतरण के लिए कार्यवाही योजना -- निधियों का बजट बनाना -- कार्मिकों के कार्य
	7.	शीघ्र और किफायती न्याय - ग्राम न्यायालय और न्याय पंचायत
	8.	जिला योजना समितियां
III.		किसान मित्र
	9.	वाटरशेड विकास
	10.	कृषकों को विपणन और अधिसंरचनात्मक सहायता
	11.	कृषि के लिए सिंचाई सुविधाएं (गौण एवं लघु सिंचाई सहित)
	12.	किसानों को ऋण
	13.	भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण
IV.		श्रमिक कल्याण
	14.	कृषि एवं असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा
	15.	न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म श्रमिकों सहित)
	16.	बाल श्रमिक निवारण
	17.	महिला श्रमिक कल्याण
V.		खाद्य सुरक्षा
	18.	खाद्य सुरक्षा: (i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (रा.खा.सु.अ.), (ii) अन्त्योदय अन्न योजना, (iii) स्थायी खाद्य अभाव क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना
VI.		सबके लिए आवास
	19.	ग्रामीण आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
	20.	शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग आवास

अगले पृष्ठ पर जारी

सूत्र सं.	मद सं.	सूत्रों/मदों का नाम
VII.		शुद्ध पेयजल
	21.	ग्रामीण क्षेत्र: -- राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.)
	22.	शहरी क्षेत्र: -- त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम
VIII.		जन-जन का स्वास्थ्य
	23.	गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण एवं रोकथाम: (क) एच.आई.वी./एड्स (ख) तपेदिक (ग) मलेरिया (घ) कुष्ठ (ड.) अंधता
	24.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
	25.	बाल प्रतिरक्षण
	26.	स्वच्छता कार्यक्रम -- ग्रामीण क्षेत्र में -- शहरी क्षेत्र में
	27.	संस्थानिक प्रसव
	28.	कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम
	29.	माँ एवं बच्चों के लिए सम्पूरक पोषक आहार
	30.	दो बच्चों का मानक
IX.		सबके लिए शिक्षा
	31.	सर्वशिक्षा अभियान- अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा
	32.	मध्याह्न भोजन योजना
X.		अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण
	33.	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार (i) अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास निगम द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान किए गए अ.जा. परिवार (ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के छात्र
	34.	सफाई कर्मियों का पुनर्वास
	35.	सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवार
	36.	वन में रहने वालों का अधिकार - लघु वन उत्पादों के मालिक
	37.	खास कर अत्यंत पिछड़े जनजाति समूह (पीटीजी)
	38.	जनजातीय भूमि का अहस्तांतरण
	39.	पंचायतों का कार्यान्वयन (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा)
	40.	अल्पसंख्यक कल्याण
	41.	सभी अल्पसंख्यक समुदायों को व्यावसायिक शिक्षा
	42.	-- शिक्षा -- रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण
XI.		महिला कल्याण
	43.	महिला कल्याण के लिए वित्तीय सहायता
	44.	(क) पंचायतों (ख) नगरपालिकाओं (ग) राज्य विधानमंडलों (घ) संसद में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी

अगले पृष्ठ पर जारी

सूत्र सं.	मद सं.	सूत्रों/मदों का नाम
XII.		बाल कल्याण
	45.	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का सार्वभौमिकरण
	46.	क्रियाशील आँगनवाड़ियाँ
XIII.		युवा विकास
	47.	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए खेल
	48.	राष्ट्रीय सद्भावना योजना
	49.	राष्ट्रीय सेवा योजना (रा.से.यो.)
XIV.		बस्ती सुधार
	50.	सात सूत्रों के चार्टर अर्थात्; भूमि का पट्टा, वहन योग्य लागत पर मकान, जल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या
XV.		पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि
	51.	वनरोपण (क) सार्वजनिक भूमि एवं वन भूमि पर वृक्षरोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र (ख) सार्वजनिक भूमि एवं वन भूमि पर रोपित पौधों की संख्या
	52.	नदियों एवं जलाशयों के प्रदूषण की रोकथाम
	53.	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन -- ग्रामीण क्षेत्र -- शहरी क्षेत्र में
XVI.		सामाजिक सुरक्षा
	54.	विकलांगों एवं अनाथों का पुनर्वास
	55.	वृद्धों का कल्याण
XVII.		ग्रामीण सड़क
	56.	ग्रामीण सड़कें - प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना
XVIII.		ग्रामीण ऊर्जा
	57.	बायो-डीजल उत्पादन
	58.	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
	59.	नवीकरणीय ऊर्जा
	60.	पंपसेटों को बिजली
	61.	विद्युत आपूर्ति
	62.	केरोसिन एवं एलपीजी की आपूर्ति
XIX.		पिछड़ा क्षेत्र विकास
	63.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
XX.		ई-शासन
	64.	केंद्रीय एवं राज्य सरकारें
	65.	पंचायतें एवं नगरपालिकाएं

बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 त्रैमासिक रूप से प्रबोधित मर्दे

1. महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन रोजगार पैदा करना ।
(एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.)
2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)
3. भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण
4. न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म श्रमिकों सहित)
5. **खाद्य सुरक्षा:**
6. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्रामीण आवास (पी.एम.ए.वाई.-जी.)
7. शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग को आवास
8. **ग्रामीण क्षेत्र:** राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.
9. ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता कार्यक्रम
10. संस्थानिक प्रसव
11. सहायताप्राप्त अनुसूचित जाति परिवार
12. एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाओं का सार्वभौमीकरण
13. क्रियाशील आंगनवाड़ियाँ
14. सात सूत्री चार्टर अर्थात्; भूमि का पट्टा, वहन योग्य लागत पर मकान, जल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या
15. **वनरोपण:**
16. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन ग्रामीण सड़कों का निर्माण
17. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गांवों का विद्युतीकरण
18. पम्पसेटों को बिजली
19. विद्युत आपूर्ति

बीसूका-2006 के अंतर्गत त्रैमासिक रूप से प्रबोधित मदों के लिए प्राप्त लक्ष्यों की स्थिति

मद सं.	सूत्र/मद का नाम	मानक	मानक/संकेतक	क्या संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित किये गये	क्या लक्ष्य प्राप्त हुए हैं	नोडल मंत्रालय
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन रोजगार पैदा करना	-	(i) जारी जॉब कार्डों की संख्या (ii) सृजित रोजगार (iii) दी गई मजदूरी	गैर-लक्षित संकेतक	-	ग्रामीण विकास मंत्रालय
2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	1 2 3	वित्त वर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या - नए और पुनर्जीवित वित्त वर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई वित्त वर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई	प्रशासनिक मंत्रालय से लक्ष्य निर्धारित किए तथा उनसे प्राप्त हुए। प्रशासनिक मंत्रालय से लक्ष्य निर्धारित किए तथा उनसे प्राप्त हुए। प्रशासनिक मंत्रालय से लक्ष्य निर्धारित किए तथा उनसे प्राप्त हुए।	हां हां हां	-वही-
3	भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण	-	वितरित भूमि (i) कुल (ii) अनुसूचित जाति (iii) अनुसूचित जनजाति (iv) अन्य	गैर-लक्षित संकेतक	-	-वही-
4	न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म श्रमिकों सहित)	-	(क) कृषि एवं फार्म कामगार (i) किए गए निरीक्षण (ii) पता लगाई गई अनियमितताएं (iii) दूर की गई अनियमितताएं (iv) फाइल किए गए दावे (v) निपटाए गए दावे (vi) लंबित अभियोजन मामले (vii) फाइल किए गए अभियोजन मामले (viii) निर्णीत अभियोजन मामले (ख) अन्य	गैर-लक्षित संकेतक	-	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

मद सं.	सूत्र/मद का नाम	मानक	मानक/संकेतक	क्या संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित किये गये	क्या लक्ष्य प्राप्त हुए हैं	नोडल मंत्रालय
5	खाद्य सुरक्षा (i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एएवाई+एपीएल+ बीपीएल, के लिए (ii) केवल अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) (iii) केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) (iv) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - सामान्य (v) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - टाइड ओवर	4	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन	प्रशासनिक मंत्रालय से लक्ष्य निर्धारित किए तथा उनसे प्राप्त हुए	हां	उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
		5	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन	-वही-	हां	-वही-
		6	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन	-वही-	हां	-वही-
		7	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन	-वही-	हां	-वही-
		8	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन	-वही-	हां	-वही-
6	ग्रामीण आवास- प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	9	निर्मित आवास	प्रशासनिक मंत्रालय से लक्ष्य निर्धारित किए तथा उनसे प्राप्त हुए।	हां	ग्रामीण विकास मंत्रालय
7	शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी आवास	10	निर्मित आवास	प्रशासनिक मंत्रालय से लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। पिछले वर्ष के लक्ष्य लिए गए हैं।	नहीं	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
8	ग्रामीण क्षेत्र - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना-	11	(i) आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना (ii) गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना	प्रशासनिक मंत्रालय से लक्ष्य निर्धारित किए तथा उनसे प्राप्त हुए।	हां	पेयजल योजना एवं स्वच्छता मंत्रालय
		12		-वही-	हां	-वही-
9	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम	-	निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय	गैर-लक्षित संकेतक*	-	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
10	संस्थानिक प्रसव	-	संस्थानों में प्रसव	गैर-लक्षित संकेतक*	-	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
11	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार	13	(i) अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास निगम द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान किए गए अ.जा. परिवार (ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के छात्र	प्रशासनिक मंत्रालय से केवल मद (i) लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं।	हां	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
				गैर-लक्षित संकेतक*	-	

मद सं.	सूत्र/मद का नाम	मानक	मानक/संकेतक	क्या संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित किये गये	क्या लक्ष्य प्राप्त हुए हैं	नोडल मंत्रालय
12	एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाओं (आईसीडीएस) का सर्वव्यापीकरण	14	चालू एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) ब्लॉक (संचयी)	प्रशासनिक मंत्रालय से लक्ष्य निर्धारित किए तथा उनसे प्राप्त हुए।	हां	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
13	क्रियाशील आंगनवाड़ियां	15	क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी)	प्रशासनिक मंत्रालय से लक्ष्य निर्धारित किए तथा उनसे प्राप्त हुए।	हां	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
14	सात सूत्रों के चार्टर अर्थात् भूमि का पट्टा, वहन योग्य लागत पर मकान, जल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या	-	सहायता प्राप्त निर्धन परिवार	गैर-लक्षित संकेतक*	-	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
15	वनरोपण: (क) सार्वजनिक एवं वन भूमि पर वृक्षारोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र (ख) सार्वजनिक एवं वन भूमि पर रोपित पौधों की संख्या	16 17	(क) सार्वजनिक एवं वन भूमि पर वृक्षारोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र (ख) पौधों की संख्या	प्रशासनिक मंत्रालय से लक्ष्य निर्धारित किए तथा उनसे प्राप्त हुए। प्रशासनिक मंत्रालय से लक्ष्य निर्धारित किए तथा उनसे प्राप्त हुए।	हां हां	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय -वही-
16	ग्रामीण सड़क-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	18	निर्मित सड़क की लंबाई	प्रशासनिक मंत्रालय से लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। पिछले वर्ष के लक्ष्य लिए गए हैं।	नहीं	ग्रामीण विकास मंत्रालय
17	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)	19	गांवों को बिजली	प्रशासनिक मंत्रालय से लक्ष्य निर्धारित किए तथा उनसे प्राप्त हुए।	हां	ऊर्जा मंत्रालय

मद सं.	सूत्र/मद का नाम	मानक	मानक/संकेतक	क्या संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित किये गये	क्या लक्ष्य प्राप्त हुए हैं	नोडल मंत्रालय
18	पंपसेटों की बिजली	20	पंपसेटों को बिजली	प्रशासनिक मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को उनके अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने के सुझाव दिए हैं ।	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड को छोड़कर किसी भी राज्यों ने अभी तक लक्ष्यों को प्रदान नहीं किया है । पिछले वर्ष के लक्ष्य दोहराए गए हैं ।	-वही-
19	बिजली आपूर्ति	21	बिजली आपूर्ति	प्रशासनिक मंत्रालय से लक्ष्य निर्धारित किए तथा उनसे प्राप्त हुए ।	हां	-वही-

* जिन मदों के बारे में प्रशासनिक मंत्रालय ने राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हैं उन्हें निष्पादन-विश्लेषण में शामिल नहीं किया जाता है । ये मदें आमतौर पर मांग संचालित होती हैं और तदनुसार केवल वास्तविक उपलब्धियों के लिए निगरानी की जाती है ।

बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 आकलन के लिए चिन्हित मदें/मानक

मासिक आकलन करने के लिए बीसूका-2006 के अंतर्गत आने वाले राज्यों के निष्पादन का मूल्यांकन 13 मदों में शामिल निम्नलिखित 21 मानकों तथा केन्द्रीय प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार किया जाता है।

मदें	मानक	मदों का ब्यौरा
1	-	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)
	1	वित्त वर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गए स्वयं सहायता समूह की संख्या - नए और पुनर्जीवित
	2	वित्त वर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई
	3	वित्त वर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई
2	-	खाद्य सुरक्षा :
	4	(i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) अन्त्योदय अन्न योजना, गरीबी रेखा से ऊपर तथा गरीबी रेखा से नीचे के लिए
	5	(ii) टीपीडीएस: केवल अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई)
	6	(iii) टीपीडीएस: केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)
	7	(iv) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - सामान्य
	8	(v) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - टाइड ओवर
3	9	ग्रामीण आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) - (पी.एम.ए.वाई.-जी.)
4	10	शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग को आवास
5	-	ग्रामीण क्षेत्र: राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना -(एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.)
	11	(i) आंशिक रूप से समाविष्ट बसावटों को शामिल करना
	12	(ii) गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को शामिल करना
6	-	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार
	13	अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास निगम द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान किए गए अ.जा. परिवार
7	14	एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाओं (आईसीडीएस) का सार्वभौमीकरण
8	15	क्रियाशील ऑगनवाड़ियाँ
9	-	वनरोपण:
	16	(i) वृक्षरोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र-सार्वजनिक एवं वन भूमि
	17	(ii) सार्वजनिक एवं वन भूमि पर रोपित पौधों की संख्या

मदें	मानक	मदों का ब्यौरा
10	18	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अधीन ग्रामीण सड़को का निर्माण
11	19	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अतर्गत गांवों का विद्युतीकरण
12	20	पंपसेटों को बिजली
13	21	विद्युत आपूर्ति

उन मदों की सूची जहां संबंधित योजना अभी संचालित की जानी है ।

(i) शीघ्र एवं किफायती न्याय- ग्राम न्यायालय एवं न्याय पंचायतें : ग्राम न्यायालय की योजना को परिचालन के लिए विधि तथा न्याय मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है । तथापि, न्याय पंचायत का मामला पंचायतीराज मंत्रालय में अभी विचाराधीन है, जिसे अंतिमरूप दिया जा रहा है ।

प्रयुक्त संक्षेपाक्षर

एएवाई	अन्त्योदय अन्न योजना
एनआरडीडब्लूपी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना
डीडीआरएस	दीनदयाल पुनर्वास योजना
ईडब्ल्यूएस	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
पी.एम.ए.वाई.- जी.	प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण
आईसीडीएस	एकीकृत बाल विकास योजना
एलआईजी	निम्न आय वर्ग
एमडब्ल्यूई	न्यूनतम वेतन प्रवर्तन
एनसी	शामिल नहीं
एनआरईजीएस	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन योजना
पीसी	आंशिक रूप से शामिल
पीएमजीएसवाई	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना
एससी	अनुसूचित जाति
डीडीयूजीजेवाई	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
एसजीआरवाई	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एसएचजी	स्व सहायता ग्रुप
एसटी	अनुसूचित जन जाति
टीपीडीएस	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
एनएफएसए	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम